

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000



चौदहवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 04 दिसम्बर 2013
समय : सायं 03.00 बजे
स्थान : संघ मुख्यालय के सभा कक्ष, रायपुर

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाष: (0771) 4065100 से 4065110 तक फैक्स : 2283594

E-mail : cgmfpfed@sancharnet.in

Website : www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/संघ/सह./14वीं/वार्षिक आमसभा/2013/

रायपुर दिनांक

/11/2013

प्रति,

1. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर,
2. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा,
3. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा,
4. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर,
5. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर,
6. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव,
7. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोण्डागांव,
8. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर
9. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर,
10. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर,
11. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़,
12. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बालोद,
13. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा,
14. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव,
15. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी,
16. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, गरियाबंद,
17. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद,
18. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार,
19. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर,
20. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही,
21. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर चांपा,

22. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़,
23. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़,
24. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा,
25. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा,
26. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर,
27. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़,
28. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर,
29. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर,
30. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा,
31. प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया,

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की चौदहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 04.12.2013 की सूचना ।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो./सह./14वीं/वार्षिक आमसभा/2013/13527 दिनांक 14/11/2013.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की चौदहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 04.12.2013 दिन बुधवार को 3.00 बजे से संघ मुख्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया जाना है ।

वार्षिक आमसभा में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के प्राधिकृत अधिकारियों जो वर्तमान में संघ के सदस्य हैं, की उपस्थिति प्रार्थनीय है ।

नोट :- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में आयोजित वार्षिक आमसभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात 3.30 बजे से पुनः उसी स्थान पर प्रारम्भ की जावेगी ।

वार्षिक आमसभा का एजेण्डा पृथक से भेजा जावेगा ।

कार्यसूची

विषय क्रमांक 1	तेरहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 23.03.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।
विषय क्रमांक 2	वित्तीय वर्ष 2013-14 में किये गये कार्यों का विवरण ।
विषय क्रमांक 3	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक 4	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बजट की स्वीकृति ।
विषय क्रमांक 5	वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक 6	वर्ष 2005-06 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक 7	वर्ष 2006-07 के शुद्ध लाभ का विभाजन का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक 8	वर्ष 2007-08 के शुद्ध लाभ का विभाजन का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक 9	वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय है ।
वार्षिक साधारण सभा की पुस्तिका संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर

अध्यक्षीय उद्बोधन

सम्माननीय सदस्यगण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की चौदहवीं आमसभा में उपस्थित सभी सम्माननीय संचालक मंडल के सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।

सहकारिता में त्रिस्तरीय ढाँचे में लघु वनोपज संघ 916 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों की शीघ्र सहकारी संस्था है, जिसका कार्यक्षेत्र पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहाँ पर लघु वनोपज होने का बाहुल्य है। लगभग 14 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते हैं, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी हैं। राज्य वनोपज संघ इन्हीं वनों के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है।

संग्रहण वर्ष 2013 राष्ट्रीयकृत वनोपज विशेषकर तेन्दूपत्ता एवं सालबीज के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस वर्ष तेन्दूपत्ते के लिए निर्धारित लक्ष्य 16.438 लाख मानक बोरा के विरुद्ध मात्र 14.710 लाख मानक बोरा, सालबीज के लिए निर्धारित लक्ष्य 2,42,700 क्विंटल के विरुद्ध मात्र 1288 क्विंटल ही संग्रहण हुआ। बाजार में तेन्दूपत्ते की माँग में आई कमी के कारण इस वर्ष 14.711 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ते में से मात्र 12.901 लाख मानक बोरा का ही अग्रिम में निर्वर्तनरूपये 2672/- प्रति मानक बोरा के औसत विक्रय मूल्य पर हो सका। शेष तेन्दूपत्ते का भण्डारण उपरान्त निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2012 में संग्रहित तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय में से शासन निर्णय अनुसार 80 प्रतिशत राशि रूपये 310.40 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों को जनप्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई है।

विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी शासन निर्देशानुसार 12.55 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित की गयी। इस हेतु शासन से रूपये 15.00 करोड़ की राशि वनोपज संघ को प्राप्त हो चुकी है।

शासन निर्देशानुसार इस वर्ष उक्त 12.55 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को एक सिंथेटिक साड़ी वितरित की गयी है।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए पूर्व से प्रचलित जनश्री बीमा योजना के तहत संग्राहक को निम्न दावा राशि प्राप्त होती है :-

- | | | |
|--|---|----------------|
| (1) साधारण मृत्यु की दशा में | - | रूपये 30,000/- |
| (2) आंशिक विकलांगता पर | - | रूपये 37,500/- |
| (3) पूर्ण विकलांगता/दुर्घटना मृत्यु पर | - | रूपये 75,000/- |

इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा शेष आधी राशि की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन के बजट से आबंटित की जाती है तथा 25 प्रतिशत राशि छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ अर्थात् संग्राहकों के द्वारा वहन की जाती है। इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9वीं से 12वीं तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रुपये 600/- प्रति छःमाही प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।

संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष की है, के लिए भी पूर्व से प्रचलित पुरानी समूह बीमा योजना में निम्न दावा राशि प्राप्त होती है :-

- (1) साधारण मृत्यु की दशा में - रुपये 3,500/-
- (2) आंशिक विकलांगता पर - रुपये 12,500/-
- (3) पूर्ण विकलांगता/दुर्घटना मृत्यु पर - रुपये 25,000/-

इसके अतिरिक्त अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना के तहत दुर्घटना या साधारण मृत्यु की दशा में वर्ष 2013-14 से राशि रुपये 6500/- का अतिरिक्त भुगतान हितग्राहियों को किया जा रहा है।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु निम्न शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011-12 से लागू है :-

- (क) **मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 3000/- का पुरस्कार दिया जाता है।
- (ख) **व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो। चयनित विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में रुपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में रुपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षों तक राशि उपलब्ध करायी जाती है।
- (ग) **गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा का चयन

किया जाता है, जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम., आदि में लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो। विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में 5000/- द्वितीय वर्ष में 4000/- तृतीय वर्ष में 3000/- कुल तीन वर्षों में रूपये 12000/- की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

- (घ) **तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-** तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समस्त प्रतिभाशाली बच्चों को 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 15000/- रूपये तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 25000/- दिया रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में अराष्ट्रीयकृत वनोपज के संरक्षण, उत्पादन, मूल्य संवर्धन एवं उत्पादों के विपणन के सम्बंध में भी काफी सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं, जिससे इन गतिविधियों में संलग्न ग्रामीणों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ पहुँच रहा है।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः सभी उपस्थित सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कारण प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लघु वनोपज संग्राहकों की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगे।

धन्यवाद,

विषय-सूची

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	तेरहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 23.03.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	1 - 20
2.	वित्तीय वर्ष 2013-14 में किये गये कार्यों का विवरण ।	21 - 55
3.	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	56 - 63
4.	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बजट की स्वीकृति ।	64 - 69
5.	वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।	70 - 80
6.	वर्ष 2005-06 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।	81
7.	वर्ष 2006-07 के शुद्ध लाभ का विभाजन का अनुमोदन ।	82
8.	वर्ष 2007-08 के शुद्ध लाभ का विभाजन का अनुमोदन ।	83
9.	वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति ।	84

विषय क्रमांक - 1

विषय :- तेरहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 23.03.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की तेरहवीं वार्षिक आमसभा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री मुरारीलाल सिंह की अध्यक्षता में होटल सेलीब्रेशन, स्टेशन रोड़, रायपुर के कान्फेन्स हाल में दिनांक 23.03.2013 दिन शनिवार को दोपहर 12.00 बजे से प्रारंभ की गई ।

बैठक के प्रारंभ में प्रबंध संचालक द्वारा माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्यों एवं सदस्य संस्थाओं से आये संघ प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया गया । सभी संचालक सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का परिचय प्राप्ति उपरांत आमसभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-

01. माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.
पता- ग्राम व पोस्ट डेडरी, सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
02. श्री सग्रेसिंग वट्टी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
पता- ग्राम पो. धनेसरा, तह. नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.
03. श्री रूपनारायण पाण्डेय, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,
पता- ग्राम मुड़ीझरिया, पोस्ट पतेरापाली, तह. बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग.
04. श्री पुनीत राम सिन्हा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,
पता- ग्राम- छेल डोगरी, पोस्ट गोहरापदर, थाना व तह. मैनपुर, जिला रायपुर
05. श्री के.एस.सुब्रमणियम,
मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन, वन विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर
06. श्री पी.एस.सर्पराज, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
वास्ते प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
07. श्री संदीप गुप्ता, उप-पंजीयक
वास्ते पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर.
08. श्री एल.के.मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
वास्ते सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
09. श्री नीलम गनपत, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम-गुलापेटा पो.-चंदनगिरी तह. भोपालपटनम जि.-बीजापुर ।

- 10 **श्री केदारनाथ साहनी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **जगदलपुर**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम माड़पाल, पोस्ट कुरन्दी, जिला बस्तर ।
- 11 **श्री सुकदास शारदूल**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **दक्षिण कोंडागांव**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तह.कोंडागांव, जिला बस्तर ।
- 12 **श्रीमती राजकुमारी मरकाम**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **उत्तर कोंडागांव**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट बॉसकोट, तहसील केशकाल, जिला बस्तर ।
- 13 **श्री महादेव देहारी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **नारायणपुर** संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम डूमरतरई, पोस्ट- वाकुलवाही, तहसील व जिला नारायणपुर ।
- 14 **श्री टीकम टांडिया**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **पूर्व भानुप्रतापपुर**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
- 15 **श्री मोतीराम उईके**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **खैरागढ़**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम खमपुरा, पो.बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ।
- 16 **श्री गंगाराम ठाकुर**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **दुर्ग**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग ।
- 17 **श्री पंचराम धुर्वे**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **कवर्धा**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट कुकदुर, तह.पण्डरिया, जिला कबीरधाम ।
- 18 **श्री आलोक सिन्हा**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **धमतरी**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट नगरी, जिला धमतरी ।
- 19 **श्री रामनारायण**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **पूर्व रायपुर**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट फिंगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर ।
- 20 **श्री रविशंकर गोड़**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **महासमुंद**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट छोटे लोरम, जिला महासमुंद ।
- 21 **श्री बलभद्र सिंह ठाकुर**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **रायपुर**, संघ प्रतिनिधि,
पता-ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर ।
- 22 **श्री तीजम सिंह मरावी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **बिलासपुर**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम जुगली, पोस्ट सौफी, थाना सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर ।
- 23 **श्री दयाल सिंह यादव** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **मरवाही**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम करगीखुर्द, पोस्ट जोगीसार, जिला बिलासपुर ।
- 24 **श्री चुन्नीलाल साहू**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **जांजगीर चांपा**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम व पोस्ट खिसोरा, थाना बलौदा, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा ।
- 25 **श्री नृपत सिंह राठिया**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, **रायगढ़**, संघ प्रतिनिधि,
पता- ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा, जिला रायगढ़ ।

- 26 श्रीमती मनकुंवर राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम बरतापाली, पोस्ट गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ ।
- 27 श्री उधोराम कश्यप, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, संघ प्रतिनिधि, पता- मु.सण्डैल, पो.सरगबुंदिया, जिला कोरबा ।
- 28 श्री अक्षय कुमार गर्ग, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतरा, तह.कटघोरा, जिला कोरबा ।
- 29 श्री रामस्वरूप यादव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम खैरापाठ, जे. कामरिया, तह.बागीचा, जिला जशपुर ।
- 30 श्री जयपाल सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम सनबोरा, पोस्ट कुंवारपुर, तह. भरतपुर, जिला कोरिया ।
- 31 श्री कृष्ण मुरारी यादव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर सरगुजा, संघ प्रतिनिधि, पता- ग्राम गौजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा ।
- 32 श्री ए.के.सिंह, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.

तेरहवीं वार्षिक साधारण आमसभा की बैठक में श्री बी.एल.सरन, अपर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे ।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम संघ के माननीय अध्यक्ष द्वारा अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया गया । माननीय अध्यक्ष द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में वृद्धि, जनश्री बीमा लाभ में वृद्धि, अटल समूह बीमा योजना के लाभ में वृद्धि, मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु पुरस्कार एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण निर्णय से अवगत कराया गया । तदुपरांत सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1	बारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 24.03.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	तेरहवीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा बारहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 24.03.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
2	वित्तीय वर्ष 2012-13 में किये गये कार्यों का	वार्षिक आमसभा में संघ के प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय वर्ष	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

	विवरण ।	2012-13 में किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया जिस पर आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गई ।	
3	वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	प्रबंध संचालक द्वारा संघ में वर्ष 2013-14 में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण सभा में प्रस्तुत किया गया । जिसका सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
4	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बजट की स्वीकृति ।	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये तेरहवीं साधारण सभा द्वारा प्रस्तावित बजट का अवलोकन कर चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
5	वित्तीय वर्ष 2011-12 के वित्तीय पत्रको का अनुमोदन ।	वित्तीय वर्ष 2011-12 के वित्तीय पत्रको का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
6	वर्ष 2003-04 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।	वर्ष 2003-04 के शुद्ध लाभ के विभाजन का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
7	वर्ष 2004-05 के शुद्ध लाभ का विभाजन का अनुमोदन ।	वर्ष 2004-05 के शुद्ध लाभ के विभाजन का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
8	वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति ।	वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के अंकेक्षण टीप एवं अंकेक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में संघ द्वारा की गई कार्यवाही (निराकरण प्रतिवेदन) पर तथा आय-व्यय पत्रकों पर आमसभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

प्रस्ताव पारित उपरान्त सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को अपने सुझाव एवं मांगों के संबंध में आमसभा में रखने हेतु प्रबंध संचालक, संघ द्वारा कहा गया। कुछ प्रतिनिधियों ने अपनी मांग व सुझाव मौखिक रूप से तथा कुछ प्रतिनिधियों द्वारा लिखित में प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण अतिरिक्त विषय बिन्दुओं में उल्लेखित है :-

अतिरिक्त विषय बिन्दु :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1	श्री आलोक सिन्हा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन धमतरी, संघ प्रतिनिधि ने प्रस्ताव क्रमांक 08 के संबंध में आपत्ति उठाया गई कि अंकेक्षण टीप में अंकेक्षक द्वारा उठायी गई आपत्तियों एवं उनके निराकरण पर हम सहमति नहीं दे सकते, क्योंकि अन्य मामलों में जब शासन निर्णय लेती है तो आमसभा में हमारी इस विषय में सहमति क्यों जरूरी है ?	प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण सहकारिता विभाग द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सम्पन्न किया जाता है। अंकेक्षण में अंकेक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण संस्था द्वारा किया जाता है। अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण टीप मय आपत्तियों सहित सहकारिता विभाग में प्रस्तुत की जाती है। तदुपरान्त सहकारिता विभाग द्वारा अंकेक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं सुझावों का लेख करते हुये अंकेक्षण टीप पारित की जाती है। पारित अंकेक्षण टीप को संस्था की वार्षिक आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
2	श्री मोतीराम उईके, प्रतिनिधि, जिला यूनियन खैरागढ़, श्री आलोक सिन्हा, प्रतिनिधि जिला यूनियन धमतरी, श्री चुन्नीलाल साहू,	प्रबंध संचालक, संघ द्वारा प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि तेन्दूपत्ता विक्रय की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य शासन द्वारा	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

	<p>प्रतिनिधि जँजगीर-चांपा, श्री टीकम टांडिया, प्रतिनिधि, जिला यूनियन पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा जानना चाहा कि -</p> <p>तेन्दूपत्ता विक्रय से किन कारणों से राजस्व की क्षति हुई और छत्तीसगढ़ राज्य में ते.प. के विक्रय दर में क्यों गिरावट आई है ? क्या सरकार द्वारा तेन्दूपत्ता नीतियों में कोई बदलाव या परिवर्तन किया गया है । निविदा दर किसके द्वारा तय की जाती है ? इस वर्ष निविदा दर क्या रखी गयी ? जो तेन्दूपत्ता के टेन्डर डाले गये है उनकी दर कम होने के क्या कारण है । पारदर्शिता की बात कही जा रही है परन्तु प्रतिनिधियों को निविदा दर की प्रक्रिया से अवगत क्यों नहीं कराया जा रहा है, अवरोध मूल्य के निर्धारण का फार्मूला क्या है ?</p>	<p>गठित अन्तर्विभागीय समिति द्वारा तेन्दूपत्ते की लाटों का अवरोध मूल्य निर्धारण किया जाता है । अवरोध मूल्य का निर्धारण विगत वर्षों की प्राप्त दरों के आधार पर किया जाता है । पूरे देश में गतवर्ष तेन्दूपत्ते का उत्पादन अधिक हुआ है जिससे तेन्दूपत्ता की मांग की कमी के कारण अनेक राज्यों में विक्रय दर में गिरावट आई है । तेन्दूपत्ते की विक्रय दर बाजार मांग के ऊपर निर्भर करती है तथा पूर्व में भी ऐसा हो चुका है । निविदा पर निर्णय लेने का अधिकार शासन का अंतर्विभागीय समिति को है, जिसके अध्यक्ष माननीय वन मंत्रीजी है तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य है ।</p>	
3	<p>श्री सग्गेसिंह बट्टी, उपाध्यक्ष एवं श्री अक्षय कुमार गर्ग, जिला वनोपज सहकारी यूनियन कटघोरा संघ प्रतिनिधि द्वारा यह जानना चाहा कि वर्ष 2013 में तेन्दूपत्ता के कितने लाट विक्रय होने से बचे हुए हैं एवं कौन-कौन से लाट नहीं</p>	<p>प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2013 के 160 लाट अभी भी नहीं बिके हैं । संघ की बेवसाईट में अबिक्रित लाटों की सूची दर्शायी गई है । अबिक्रित लाटों की सूची पृथक से उपलब्ध भी कराई गई ।</p>	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

	बिके हैं, उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए ।		
4	<p>श्री सग्गेशिंह बट्टी, उपाध्यक्ष ने मांग रखी कि सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर में वर्ष 2010-11 की बोनस राशि हड़प लिया गया है तथा यह राशि संग्राहकों को नहीं दी गई है । वर्ष 2011-12 का बोनस तब तक गांव वाले नहीं लेंगे, जब तक कि वर्ष 2010-11 का बोनस उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता । कई जिला यूनियन ऐसी हैं जहां कोई कार्य नहीं होता । जो भी राशि मिलती है उसका सही उपयोग होना चाहिए ।</p>	<p>प्रबंध संचालक, द्वारा जानकारी चाही गई कि किस समिति द्वारा, किस वर्ष का प्रोत्साहन पारिश्रमिक अभी तक वितरित नहीं किया गया है तथा किस जिला यूनियन में कौन सा कार्य नहीं हुआ है उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जावे, ताकि तदनुसार प्रकरण का परीक्षण कर भुगतान की कार्यवाही की जा सके व त्रुटिकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।</p>	<p>जिला यूनियन सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर में तैन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2010 एवं 2011 का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का कार्य किया जा चुका है । मात्र जिला यूनियन सुकमा में स्थानीय विषम परिस्थितियों के कारण रुपये 81.62 लाख की राशि वितरण हेतु शेष है । उक्त जिला यूनियनों से संबंधित अनियमितता की स्पष्ट जानकारी तत्कालीन उपाध्यक्ष के द्वारा संघ मुख्यालय को नहीं दी गई ।</p>
5	<p>श्री आलोक सिन्हा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि ने लिखित में निम्न बिन्दुओं पर विचार करने हेतु पत्र दिया गया :-</p>		
	<p>1) सहकारिता नियमों का पालन नहीं होता । संघ के संचालक मण्डल एवं आमसभा की बैठक नियमित रूप से विगत 6 माह से नहीं हुई है । बैठक के संबंध में जानकारी नहीं दी जाती है । अतः इस संबंध में कार्यवाही किया जाना चाहिए ।</p>	<p>संघ से संबद्ध जिला यूनियनों एवं प्राथमिक समितियों में उपविधि अनुसार संचालक मण्डल की बैठकों एवं वार्षिक आमसभा के आयोजन हेतु संघ स्तर से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं । अधिकांश जिला यूनियनों में नियमित संचालक मण्डल की बैठकों व वार्षिक आमसभा का आयोजन भी किया जा रहा है । जिला यूनियन, धमतरी में संचालक मण्डल की बैठक नहीं बुलाये जाने संबंधी विषय पर, प्रबंध संचालक, जिला यूनियन से जानकारी ली</p>	<p>जिला यूनियन धमतरी को पत्र क्रमांक/वनो/सह/2013/13985 रायपुर दिनांक 25.11.2013 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है ।</p>

	<p>2) जिला वनोपज सहकारी यूनियन धमतरी के दुगली प्रसंस्करण केन्द्र में माहुलपत्ता, तिखुर, एलोविरा का प्रसंस्करण कार्य किया जाता है, जिसका संचालन विगत 20 वर्षों से स्व-सहायता समूह द्वारा विभागीय नियंत्रण में किया जा रहा था । विगत जनवरी 2013 को प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन धमतरी द्वारा एक एन.जी.ओ.के हाथों में संचालन सौंपकर रूपये 24 लाख रूपये हस्तांतरण किया गया । उक्त एन.जी.ओ के कार्य प्रणाली व हस्तांतरण पर अनेक सवाल उठ रहे है ।</p> <p>दुगली प्रसंस्करण केन्द्र का संचालन स्थानीय जागृति बालिका स्व.सहायता के आदिवासी कन्या द्वारा किया जा रहा है, जिसे बेदखल कर की गई हस्तांतरण पर रोक लगाते हुए सहकारी संस्था को सहकारीकरण करने की कार्यवाही की जावे ।</p>	<p>जावेगी । प्रबंध संचालक संघ द्वारा यह भी कहा गया कि इस प्रकार के मुद्दों को जिला यूनियन स्तर पर उठाया जाना चाहिये ।</p> <p>(2) प्रबंध संचालक, धमतरी से जानकारी प्राप्त करने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।</p>	<p>प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, धमतरी को पत्र क्रमांक 6846 दिनांक 22.05.13 द्वारा लेख किया गया है । पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 8780 दिनांक 18.07.13 द्वारा लेख किया गया है ।</p>
--	---	---	--

<p>6</p>	<p>श्री चुन्नीलाल साहू प्रतिनिधि जिला यूनियन जॉजगीर-चांपा एवं श्री मोती राम उइके प्रतिनिधि जिला यूनियन खैरागढ़ ने मुद्दा उठाया कि संघ प्रतिनिधि के क्या अधिकार/कर्तव्य हैं अवगत कराया जाए ।</p> <p>संघ प्रतिनिधि जॉजगीर-चांपा द्वारा बताया गया कि जिला यूनियन में 7 समितियाँ है, वहाँ समिति के भवन नहीं है, तत्संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए ।</p>	<p>संस्था की पंजीकृत उपविधि में प्रतिनिधियों के लिये पृथक से अधिकार/कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है । संघ प्रतिनिधि अधिकांश संस्थाओं में संचालक मण्डल के सदस्य भी है । उन्हें उपविधि में वर्णित संचालक मण्डल के अधिकार, दायित्व के अतिरिक्त प्रतिनिधि होने के स्थिति में जिन संस्थाओं के लिये प्रतिनिधि निर्वाचित हुये है, उस संस्था में अपनी संस्था की ओर से प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार रहता है ।</p> <p>समिति भवन हेतु जिला यूनियन जॉजगीर-चांपा से जानकारी प्राप्त की जावेगी ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>
<p>7</p>	<p>श्री अक्षय कुमार गर्ग, प्रतिनिधि जिला यूनियन कटघोरा ने 6 बिन्दुओं पर मांग रखी गई :-</p> <p>1) 5 प्रतिशत राशि घाटे वाली समितियों को दिया जाना चाहिए एवं किन-किन समितियों में 5 प्रतिशत राशि खर्च की गई ।</p> <p>2) यू.एन.डी.पी. परियोजना के अन्तर्गत जो राशि प्राप्त होती है उसका कार्य समितियों के माध्यम नहीं होता है ।</p> <p>इस मद में</p>	<p>(1) प्रबंध संचालक संघ द्वारा अवगत कराया गया कि तेन्दूपत्ता व्यापार के लाभ की 5 प्रतिशत राशि एक Revolving फण्ड में रखी गई है । यह राशि किसी भी समिति के घाटे की अस्थाई प्रतिपूर्ति हेतु संघ के पास उपलब्ध रहती है, राशि किसी भी समिति को व्यय हेतु नहीं दी जाती है ।</p> <p>(2) परियोजना 31 मार्च 2013 को समाप्त हो चुकी है, सभी कार्य समितियों के माध्यम से नहीं कराये जाने है, कुछ कार्य वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से भी कराये जाते है ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>

<p>वनमंडलाधिकारी अथवा परिक्षेत्र अधिकारी के माध्यम से कार्य कराया जाता है ।</p> <p>3) मूलभूत सुविधा विकास मद में रूपये 60 से 70 लाख रूपये पिछले 5 सालों से पड़ी हुई है । यह राशि प्राथमिक समितियों को तत्काल उपलब्ध कराकर खर्च की जानी चाहिए ।</p> <p>4) स्व-सहायता समूह के चक्रीय राशि 2000/- तक की राशि बढ़ाया जाये । दिनांक 28.09.2012 के बाद वृद्धि नहीं हुई है ।</p> <p>5) कटघोरा जिला यूनियन में प्रसंस्करण केन्द्र है वहां हम जाना चाहते हैं पर हमें वहां के कार्य का निरीक्षण करवाया जाए ।</p>	<p>(3) मूल भूत सुविधा मद की राशि पूर्व में ही समितियों को हस्तांतरित की जा चुकी है तथा प्राथमिक समितियों के प्रस्ताव पर प्रबंध संचालक जिला यूनियन के अनुमोदन से कार्य किये जाने चाहिये ।</p> <p>(4) निर्णय हेतु लंबित है ।</p> <p>(5) प्रबंध संचालक, कटघोरा को लेख कर निरीक्षण करें ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>
<p>6) वनौषधालय की बिल्डिंग के नाम पर पुराने बने मकान को रिपेयरिंग कर राशि खर्च की गई है । कोई नयी बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, का निरीक्षण करवाया जाना चाहिए ।</p>	<p>(6) प्रबंध संचालक, कटघोरा से जानकारी लेकर कार्यवाही की जाएगी ।</p>	<p>प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, कटघोरा को पत्र क्रमांक 6715 दिनांक 17.05.13 द्वारा लेख कर पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 8711 दिनांक 17.07.13 को जारी किया गया है ।</p>

<p>8</p>	<p>श्री नीलम गनपत, प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन बीजापुर 3 बिन्दुओं पर विचार करने हेतु मुद्दा उठाया गया कि</p> <p>1) 2007 में मूलभूत विकास सुविधा के रूप में 4 समितियों की जो 15 प्रतिशत राशि मिलना चाहिए था, वह प्राप्त नहीं हुई है ?</p> <p>2) बीमा योजना के अतर्गत दावा प्रकरण के जो आवेदन भेजते हैं उसमें से 5 प्रतिशत भी स्वीकृत होकर नहीं प्राप्त होते हैं ।</p> <p>3) बूटा कटाई के रूप में शासन से प्राप्त होने वाली राशि नहीं मिली है जो पिछले साल और उसके पूर्व के साल में भी नहीं मिली थी । यह पैसा कहां आहरित होता है ?</p>	<p>(1) प्रबंध संचालक द्वारा जानना चाहा गया कि कौन सी 4 समितियों में राशि प्राप्त नहीं हुई है ? अवगत करावें, ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके ।</p> <p>(2) जिला यूनियन बीजापुर को लेखकर उत्तर मंगाया जाएगा ।</p> <p>(3) जिला यूनियन बीजापुर से जानकारी प्राप्त की जायेगी ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/जनश्रीबीमा/2013/13983 दिनांक 25.11.2013 द्वारा प्रबंध संचालक जिला यूनियन बीजापुर को पत्र से उत्तर प्राप्त करने हेतु लेख किया गया ।</p> <p>जिला यूनियन बीजापुर के पत्र क्रमांक 1857 दिनांक 25.11.2013 द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2012 एवं 2013 के शाखकर्तन की राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।</p>
<p>9</p>	<p>श्रीमती राजकुमारी मरकाम, प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन उत्तर कोण्डागॉव ने मांग रखी कि बीमा योजना में 500 गड्डी तोड़ने वाले संग्राहक को लाभ मिलता है, जो संग्राहक 100 गड्डी तोड़ता है उसे भी लाभ दिया जाना चाहिए ।</p>	<p>शासन के निर्णय से अवगत कराया गया ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>

<p>10</p>	<p>श्री रूपनारायण पाण्डेय, संचालक, ने मांग रखी कि प्रदेश से जो भी तेन्दूपत्ता संग्राहक रायपुर इलाज के लिए आये, एक समिति भवन का निर्माण किया जाये ताकि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को रायपुर में रूकने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उस भवन में एक संदेशवाहक रखा जाए जो भवन की देख-भाल कर सके।</p>		
<p>11</p>	<p>श्री सग्गेसिंह बट्टी, उपाध्यक्ष श्री रूपनारायण पाण्डेय, संचालक, श्री पुनीतराम सिंन्हा, श्री सुकदास शारदुल, श्री नृपत सिंह राठिया, श्री कृष्ण मुरारी यादव, श्री तीजम सिंह मरावी, श्री उधोराम कश्यप, जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के संघ प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न फड़मुंशी जो वर्ष भर कार्य करते हैं उन्हें कमीशन दिया जाता है उसके स्थान पर मासिक मानदेय दिये जाने पर विचार किये जाना चाहिए। प्रतिनिधियों द्वारा फड़मुंशी के मानदेय दिये जाने पर यह तर्क दिया गया कि तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न फड़मुंशी प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों के</p>	<p>फड़मुंशियों के पास वर्ष भर कार्य नहीं होता है, अतः मासिक मानदेय दिया जाना संभव नहीं है। यदि यह दिया गया तो खर्च अत्यधिक बढ़ जाएगा। फड़मुंशी का कार्य केवल राष्ट्रीयकृत वनोपज संग्रहण तथा चरण पादुका वितरण है।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।</p>

	<p>निर्देशानुसार संग्राहकों के हितों से जुड़ी बीमा योजनाओं, एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं संबंधी कार्य दावा प्रकरणों तैयार करवाना, छात्रवृत्ति प्रकरणों की जानकारी, छात्रवृत्ति का वितरण बोनस राशि के वितरण कार्य संग्राहक के गाँव-गाँव जाकर करना पड़ता एवं उक्त कार्य में उनकी अहम भूमिका रहती है। यह भी सुझाव दिया गया कि मूलभूत सुविधा विकास की 15 प्रतिशत राशि में से 8 प्रतिशत राशि फंडमुंशियों को 12 माह के हिसाब से अलग-अलग माह में दिया जाना चाहिए। उनको कमीशन की बजाय मासिक मानदेय स्वीकृत किया जावे।</p>		
12	<p>श्री महादेव देहारी, प्रतिनिधि जिला यूनियन नारायणपुर ने मांग रखी कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों को वार्षिक मानदेय दिया जा रहा है उसी प्रकार संघ प्रतिनिधि को भी मानदेय दिया जाना चाहिए।</p>	<p>निर्वाचित संचालक व प्रतिनिधियों को वार्षिक मानदेय दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि अध्यक्ष का पद सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद की श्रेणी में आता है। अतः उनके कार्य को देखते हुये उन्हे मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है।</p>	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
13	<p>श्री उधोराम कश्यप, प्रतिनिधि जिला यूनियन कोरबा जिला यूनियन के तृतीय वर्ग कर्मचारियों के</p>	<p>समस्त जिले के कर्मचारियों को संघ/यूनियन द्वारा आवास सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। कर्मचारियों को शासन द्वारा</p>	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

	<p>लिए आवास सुविधा की व्यवस्था की जाये । औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण मकान उपलब्ध नहीं है, शासन द्वारा जो आवास उपलब्ध कराये गये हैं वह बहुत कम है ।</p>	<p>निर्धारित एवं नियत आवास भत्ता सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।</p>	
14	<p>बलभद्र सिंह ठाकुर प्रतिनिधि जिला यूनियन रायपुर द्वारा जानना चाहा कि मूलभूत सुविधा विकास के अन्तर्गत कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है तथा स्वीकृत राशि से कितना कार्य किया गया है । वर्ष 2009-10 में कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी राशि से कब और कितने विकास कार्य कराये गये । यदि समिति द्वारा कोई कार्य कराने का प्रस्ताव नहीं दिया जाता गया है, तो उसमें उचित कार्यवाही होना चाहिए ।</p>	<p>प्रबंध संचालक, संघ द्वारा संघ प्रतिनिधि को तत्संबंध में समितियों के नाम सहित स्पष्ट पत्र जिला यूनियन तथा संघ मुख्यालय को लेख करने हेतु कहा गया । ताकि जिला यूनियन से जानकारी प्राप्त की जा सके ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>
15	<p>श्री मोतीराम उईके, प्रतिनिधि जिला यूनियन खैरागढ़ ने 2 बिन्दुओं पर विचार करने हेतु मांग रखी गई -</p> <p>1) वन विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है । पूरी राशि अभी भी उपलब्ध है । इस राशि के कार्य हेतु विभाग से निर्देश दिये जाए ताकि लोगों को लाभ मिले ।</p>	<p>(1) प्रबंध संचालक द्वारा बताया गया कि कार्यपूर्ण कराने हेतु प्रबंध संचालक जिला यूनियन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक व शासन को पुनः लेख किया जावेगा ।</p>	<p>जिला यूनियन खैरागढ़ में वन विकास का कोई कार्य नहीं होने के संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन खैरागढ़ को प.क्र. /वनो/संघ/वित्त/2013/10328 रायपुर दिनांक 26.08.2013 द्वारा लेख किया गया है, जिसकी प्रति प्रमुख सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक को देते हुये प्रबंध संचालक जिला यूनियन को</p>

	2) तेन्दूपत्ता का उत्पादन बढ़े इसके लिए वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ।	(2) वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग से संबंधित है ।	अपने स्तर से उचित निर्देश देने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लेख किया गया है । कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
16	श्री गंगाराम ठाकुर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग प्रतिनिधि लिखित में निम्न बिन्दुओं पर विचार करने हेतु पत्र दिया गया :- 1- तेन्दूपत्ता में गिरावट को देखते हुए तेन्दू पौधों को संरक्षित रखने निचले स्तर पर कार्य योजना बने और घटते संग्राहक गड्डी को देखते हुए, प्रतिमानक बोरा 1500/- राशि दी जावे ।	(1) शासन से संबंधित ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
	2- तेन्दूपत्ता संग्रहण की तरह कोदों को बढ़ावा देते हुए संघ के माध्यम से समितियों द्वारा खरीदी की व्यवस्था की जावे एवं बोनास राशि पर विचार की जावे ।	(2) कोदो वन उपज नहीं है ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
	3- तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चिकित्सा व्यवस्था हेतु संघ द्वारा सहायता राशि दी जावे ।	(3) पूर्ण जनसंख्या की चिकित्सा व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा की जाती है ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
17	श्री रामस्वरूप यादव, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर ने लिखित में 2 बिन्दुओं पर विचार करने हेतु पत्र दिया गया :- 1- जशपुर जिला यूनियन में आदिवासी योजना के तहत तेल बीज से तेल	(1) प्रबंध संचालक जशपुर से जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।	पत्र क्रमांक 6711 दिनांक 16.05.13 द्वारा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, जशपुर को लेख

	<p>निकालने हेतु स्थापित तैलीय बीज संयंत्र जो कुनकुरी में स्थापित है को पुनः चालू करने हेतु मरम्मत कराने एवं चालू करने की आवश्यकता है, उसके अभाव में तेल निकालने का कार्य पूर्ण रूप से बंद पड़ा है जिसे तत्काल प्रारंभ किया जाना अति आवश्यक है, ताकि क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके ।</p> <p>2- प्राथमिक समिति सन्ना से जनश्री बीमा मृत्यु दावा, छात्रवृत्ति प्रकरण का कार्यवाही नहीं किया गया है । प्रबंधक के द्वारा सही समय पर प्रकरण बनाकर नहीं भेजा जाता है जिससे संग्राहकों को लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है, यह बहुत ही खेदजनक बात है ।</p>	<p>(2) प्रबंध संचालक, जिला यूनियन जशपुर से जॉच कराकर प्रस्तुत किया जाएगा ।</p>	<p>किया गया है । पुनः पत्र क्रमांक 13988 दिनांक 26.11.13 को स्मरण पत्र जारी किया गया है ।</p> <p>कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/जनश्रीबीमा/2013/13981 दिनांक 25.11.2013 द्वारा प्रबंध संचालक जिला यूनियन जशपुर नगर को पत्र लेख किया गया ।</p>
<p>18</p>	<p>श्री केदारनाथ साहनी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर ने लिखित में 8 बिन्दुओं पर विचार करने हेतु पत्र दिया गया</p> <p>1) तेन्दूपत्ता संग्रहण क्रेताओं को प्रति मानक बोरा 1100 से बढ़ाकर 1300 प्रति मानक बोरा किया जावे ।</p>	<p>(1) प्राप्त न्यूनतम दर को देखते हुये यह संभव नहीं है । दर रूपये 1200/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की जा चुकी है ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>
	<p>2) प्रबंधकों को मासिक वेतन 5050/- से बढ़ाकर 9000/- किया जावे ।</p>	<p>(2) प्रबंधकों को वर्तमान में 5650/- मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त कार्य के आधार पर</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>

	<p>3) प्राथमिक वनोपज समिति के सुरक्षा श्रमिक को मानदेय 400/- के स्थान पर 1000/- किया जावे ।</p> <p>4) जिला यूनियन अध्यक्ष को 100 दिन का जीप किराया में वृद्धि कर 200 दिन किया जावे ।</p> <p>5) जिला यूनियन जगदलपुर के अंतर्गत कार्यालय एक ही कक्ष में लगाया जा रहा है । पुराने अभिलेख सुरक्षित रखने हेतु कार्यालय कक्ष विस्तार हेतु एक अतिरिक्त कक्ष एवं बैठक कक्ष निर्माण हेतु 8,26,000/- रुपये की आवश्यक होगी । जिला यूनियन जगदलपुर के आमसभा में प्रस्ताव पारित कर भेजी गई है । वर्तमान में 5 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं, जो पर्याप्त नहीं है । अतः रुपये 8.26 लाख स्वीकृत किया जावें ।</p> <p>6) लाख पालन हेतु कार्यरत लाख फेसिलिटेटर</p>	<p>9600/- वार्षिक प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया जा रहा है जो कि उचित है ।</p> <p>(3) प्राथमिक समिति कार्यालय चौकीदारी हेतु 600/- प्रतिमाह की मान से 7200/- रुपये वार्षिक भुगतान किया जा रहा है ।</p> <p>(4) जिला यूनियन के अध्यक्षों के लिये छत्तीसगढ़ शासन के अनुमति एवं तत्पश्चात् कार्यकारी संचालक संघ द्वारा सहकारिता अधिनियम अंतर्गत 1 वर्ष में 100 दिवस वाहन उपभोग की स्वीकृति दी गई है ।</p> <p>(5) संघ के संचालक मण्डल की 48वीं बैठक दिनांक 29.06.2012 में पारित संकल्प अनुसार प्रबंध संचालक संघ मुख्यालय को जिला यूनियन में अतिरिक्त/स्टोर कक्ष के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर रुपये 5.00 लाख तक के व्यय की स्वीकृति का अधिकार है । प्रबंध संचालक, जिला यूनियन जगदलपुर को पत्र क्रमांक 1136 दिनांक 24.01.2013 से लेख किया गया है कि जिला यूनियन कार्यालय भवन निर्माण हेतु बड़े कार्यालय भवन की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रस्ताव को रुपये 5.00 लाख तक सीमित कर संशोधित प्राक्कलन वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के अनुशंसा के साथ प्रेषित करें ।</p> <p>(6) वर्तमान में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>जिला यूनियन जगदलपुर को रुपये 5.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>
--	--	---	---

	<p>की मासिक वेतन प्रतिमाह 4000/- से बढ़ाकर 6000/- किया जावे ।</p> <p>7) वर्ष 2012 के वार्षिक आमसभा में जिन बिन्दुओं पर छ.ग.शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे उन पर क्या कार्यवाही की गई है, कृपया अवगत करावे ।</p> <p>8) लघु वनोपज संघ के अधीन प्रत्येक जिला यूनियन में 1 वनक्षेत्रपाल 3 उप-वनक्षेत्रपाल एवं 5 वनरक्षकों की स्थाई पद स्थिति किया जावे ।</p>	<p>(7) कार्यवाही सभी को प्रेषित व उपलब्ध करायी गई पुस्तिका में अंकित है ।</p> <p>(8) शासन से संबंधित है ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>
<p>19</p>	<p>श्री टीकम टांडिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर संघ प्रतिनिधि लिखित में 7 बिन्दुओं पर विचार करने हेतु पत्र दिया गया :-</p> <p>1) जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित पूर्व भानुप्रतापपुर के लिए अतिरिक्त कमरे की स्वीकृति दिया जावे साथ ही प्रत्येक जिला यूनियन के लिए स्टोर रूम का निर्माण कराया जावे ।</p> <p>2) जिला यूनियन कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास निर्माण कराया जावे ।</p>	<p>(1) संघ मुख्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 9524 दिनांक 04.08.2012 से समस्त प्रबंध संचालक जिला यूनियन को लेख किया गया है कि यदि उनकी जिला यूनियन कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष/स्टोर कक्ष निर्माण की आवश्यकता है, तभी स्वीकृत किये जाने वाली राशि रूपये 5.00 लाख के भीतर प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव प्रेषित करें ।</p> <p>(2) समस्त जिले के कर्मचारियों को संघ/यूनियन द्वारा आवास सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है । कर्मचारियों को शासन</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>

<p>3) पति-पत्नि अलग-अलग विभाग में पदस्थ है तो उनका स्थानान्तरण एक ही जिला में आवेदन प्राप्त होने पर स्थानान्तरित किया जावे ।</p> <p>4) सदशवाहकों को नियमानुसार सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया जावे ।</p> <p>5) तेन्दूपत्ता कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष में परिवार सहित एक बार धार्मिक स्थल के लिए शासकीय यात्रा पर जाने के लिए राशि की व्यवस्था की जावे ।</p> <p>6) जिला यूनियनों के अधिनस्थ कार्यरत समिति प्रबंधकों को योग्यता के अनुसार नियमितीकरण की जावे ।</p>	<p>द्वारा निर्धारित एवं नियत आवास भत्ता सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।</p> <p>(3) पदों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक औचित्य पर ही संभव है । ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता ।</p> <p>(4) नियमानुसार किया जाएगा ।</p> <p>(5) मांग उचित नहीं है ।</p> <p>(6) प्राथमिक समिति के प्रबंधक प्राथमिक समिति के अंशकालिक कर्मचारी है, जिनकी नियुक्ति समिति के संचालक मण्डल में पारित प्रस्ताव पर संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरान्त की जाती है । समिति प्रबंधको के नियमितीकरण का प्रस्ताव वित्त विभाग की असहमति से, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 2 बार अमान्य किया जा चुका है ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p> <p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>
---	--	---

	<p>7) जिला यूनियनों, वृत्त कार्यालयों, संघ मुख्यालय के शेष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जावे ।</p>	<p>(7) वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । वैसे भी इतनी संख्या में पद ही उपलब्ध नहीं है ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>
20	<p>संघ प्रतिनिधि बीजापुर, पूर्व भानुप्रतापपुर एवं अन्य संघ प्रतिनिधियों द्वारा तेन्दूपत्ता फड़मुशियों को समिति के लाभांश के 8 प्रतिशत राशि को प्रतिमाह देने हेतु अपना सुझाव रखा गया ।</p> <p>उनके द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि प्राथमिक समिति के शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संबंधी कार्य के मद में रखा जाता है । अतः इसी मद में कुल 15 प्रतिशत का 8 प्रतिशत राशि समिति के सभी तेन्दूपत्ता फड़मुशियों के बीच प्रतिमाह वितरित किया जाना चाहिये साथ ही शेष 7 प्रतिशत राशि का उपयोग समिति के संग्राहकों के स्व-सहायता समूह को पूर्ववत् ऋण में दिया जा सकता है ।</p>	<p>तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हितों को दृष्टिगत् रखकर ही कार्यवाही की जावेगी ।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।</p>

विषय क्रमांक - 2

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में किये गये कार्यों का विवरण ।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना :-

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाई गई है ।

(ii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना -

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना अंतर्गत समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के है, बीमित है । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रुपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रुपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । जिसे 01.05.2013 से संशोधित की जाकर जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 30000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रुपये 37,500/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रुपये 75,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढने वाले 2 बच्चों को रुपये 600/- प्रति छेमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है । इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की जा रही है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2013-14 में माह अक्टूबर 2013 तक कुल 1778 व्यक्तियों को रुपये 1.18 करोड़ का दावा राशि का भुगतान किया गया है ।

शैक्षणिक वर्ष 2012-13 की माह अक्टूबर 2013 तक कुल रुपये 3.98 करोड़ की छात्रवृत्ति की (33,139 छात्र/छात्राओं) को वितरित हेतु जिला यूनियनों को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

(iii) सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना -

जनश्री बीमा योजना से तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया का ही बीमा होता है, शेष संग्राहक बीमा के लाभ से वंचित रह जाते है । इस कारण तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष लगभग 20,65,000 संग्राहकों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रुपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रुपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान

है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है वर्ष 2013-14 में माह अक्टूबर 2013 तक कुल 1746 व्यक्तियों को रूपये 0.994 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

वर्ष 2011-12 से एक अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत मृत्यु की दशा में पृथक से रूपये 4000/- का भुगतान हितग्राहियों को किया जा रहा है । जिसे दिनांक 01.04.2013 से संशोधित राशि रूपये 6500/- का भुगतान किया जावेगा । इस योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2013-14 में माह अक्टूबर 2013 तक कुल 1691 व्यक्तियों को रूपये 0.93 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रीमियम की राशि 10,00,000/- रूपये का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया गया है ।

(iv) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011-12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत :-

(क) **मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 3000/- का पुरस्कार दिया जाता है । वर्ष 2012-13 में 4474 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 1.11 करोड़ का भुगतान एवं वर्ष 2013-14 में माह अक्टूबर 2013 तक कुल 692 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 17 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

(ख) **व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षों तक राशि उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 2012-13 में कुल 266 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 24.20 लाख का भुगतान एवं वर्ष 2013-14 में माह अक्टूबर 2013 तक कुल 76 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 4.55 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

(ग) **गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा का चयन किया जाता है जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी

गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम., आदि में लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो। विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में 5000/-, द्वितीय वर्ष में 4000/- तथा तृतीय वर्ष में 3000/- कुल तीन वर्षों में रूपये 12000/- की राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी द्वारा गैर व्यवसायिक कोर्स में संबंधित वर्ष के प्रवेश शुल्क के भुगतान के उपरान्त ही दिया जावेगा।

वर्ष 2012-13 में कुल 966 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 48.30 लाख का भुगतान एवं माह अक्टूबर 2013 तक कुल 106 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 4.86 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(घ) **तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-** यह योजना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ की गई है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समस्त प्रतिभाशाली बच्चों को 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 15000/- रूपये तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 25000/- दिया जावेगा।

माह अक्टूबर 2013 तक कुल 175 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 34.55 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(v) **तेन्दूपत्ते का व्यापार**

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2013 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दूपत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये हैं, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.44 लाख मानक बोरा में से 792 लाटों की 13.76 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 366.53 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 2664/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 158 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.68 लाख मानक बोरा में 1.81 लाख मानक बोरा का विभागीय संग्रहण किया गया। वर्ष 2013 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रूपये 1200/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 792 लाटों में से 4 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, 1 लाट क्रमांक 175 में संग्रहित 1269.370 मानक बोरा का क्रेता द्वारा परिदान नहीं लिये जाने के कारण विभागीय संग्रहण एवं भण्डारण कराया गया, इस प्रकार 787 लाटों में 12.90 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 344.72 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2672/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 158 लाटों में से 41 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, 1 लाट क्रमांक 859 के 2 लाट बनाये गये। इस प्रकार लाट क्रमांक 175 सहित 119 लाटों में 1.81 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। गोदामीकृत नाटों में से 2 लाटों की मात्रा 1454.160 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 0.31 करोड़ तथा औसत विक्रय दर

रु. 2145/- प्रति मानक बोरा रहा । अवशेष लाटों की विक्रय हेतु कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार प्रदेश में कुल 905 लाटों में कुल 14.71 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण हुआ है, जिसके आधार पर लगभग 176.54 करोड़ रुपये संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उपलब्ध कराये गये । जिला यूनियनवार अग्रिम में निवर्तित लाटों तथा अनिवर्तित लाटों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ख' एवं परिशिष्ट 'ग' में संलग्न है ।

(vi) सालबीज का व्यापार

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2013 में संग्रहित होने वाले सालबीज अग्रिम निवर्तन में प्रदेश की 37 इकाइयों में 2.43 लाख क्विंटल सालबीज संग्रहण का अनुमान था, जिसमें से 17 इकाइयों की अनुमानित 1.72 लाख क्विंटल मात्रा का अग्रिम में विक्रय हुआ था । अग्रिम विक्रय में सालबीज की औसत विक्रय दर रुपये 901/- प्रति क्विंटल रही थी । 20 इकाइयों का अग्रिम निवर्तन नहीं हो सका था । जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में निवर्तित 17 इकाइयों में से 9 इकाइयों में 1287.51 क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 0.11 करोड़ है । अविक्रित 20 इकाइयों में सालबीज का संग्रहण नहीं हुआ । इस वर्ष सालबीज फसल अच्छी नहीं होने के कारण कुल 1287.51 क्विंटल सालबीज संग्रहित हुआ लाटवार/जिला यूनियनवार विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 'घ' में संलग्न है । संग्रहण वर्ष 2013 के सालबीज संग्राहकों को रु. 570/- प्रति क्विंटल की दर से संग्रहण पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया गया, जिससे कुल रुपये 9.66 लाख संग्राहकों को उपलब्ध कराये गये ।

(vii) हर्षा का व्यापार

संघ द्वारा प्रदेश के 15 जिलों में अग्रिम में विक्रित हर्षा प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण में क्रेता द्वारा तथा अग्रिम में अविक्रित हर्षा प्राथमिक समितियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है ।

वर्ष 2012-13 में 26008.590 क्विंटल हर्षा एवं 1845.520 क्विंटल कचरिया का संग्रहण किया गया है, जिसमें से 16777.37 क्विंटल हर्षा एवं 1801.180 क्विंटल कचरिया का विक्रय रुपये 1.84 करोड़ में किया गया । शेष लाटों के निवर्तन की कार्यवाही की जा रही है ।

संग्रहण वर्ष 2013-14 में कुल 39 इकाइयों में से 9 इकाइयों का अग्रिम में निवर्तित किया गया । अग्रिम में निवर्तित इकाइयों एवं अनिवर्तित इकाइयों में हर्षा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । इस वर्ष अनुमानित मात्रा 49 लाख क्विंटल से अधिक हर्षा संग्रहित होने का अनुमान है जिससे संग्राहकों को रु. 318.83 लाख संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है । वर्ष 2013-14 में हर्षा की संग्रहण दर रु 650/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 1300/- प्रति क्विंटल तथा बाल हर्षा की रुपये 2275/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं । वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में जिला यूनियनवार निवर्तित इकाइयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः परिशिष्ट 'ड', एवं 'च' में संलग्न प्रेषित है ।

(viii) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार

कुल्लू वृक्षों में पुनरुत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है। संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त क्रेता माध्यम से कराया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में कुल्लू गोंद की संग्रहण दर रु. 27000/- प्रति क्विंटल प्रथम श्रेणी के लिये तथा रु. 20250/- द्वितीय श्रेणी के लिये शासन द्वारा निर्धारित की गई है। संग्रहण वर्ष 2012-13 में गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) की प्रथम श्रेणी के 92.745 क्विंटल तथा द्वितीय श्रेणी के 97.170 क्विंटल का संग्रहण किया गया, जिसका निर्वर्तन अग्रिम क्रेता नियुक्त कर कुल रु. 54.15 लाख में किया गया है। औसत विक्रय दर रु. 28513/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2013-14 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रु. 27000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रु. 20250/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की समस्त 5 इकाइयों में संग्रहित होने वाली 360 क्विंटल कुल्लू गोंद में से 4 इकाइयों का 330 क्विंटल कुल्लू गोंद का अग्रिम में निर्वर्तित किया गया है। अग्रिम में अनिर्वर्तित इकाइयों में गोंद वर्ग-1 के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'छ' एवं 'ज' में संलग्न है।

(ix) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

वर्ष 2012-13 हेतु गोंद वर्ग-2 की संग्रहण दर निम्नानुसार निर्धारित थी :-

1. खैर/बबूल	-	1740/- प्रति क्विंटल
2. धावड़ा	-	2900/- प्रति क्विंटल

वर्ष 2012-13 सीजन में प्रदेश की गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) की 4 इकाइयों में 50.70 क्विंटल धावड़ा गोंद संग्रहण किया गया। जिसका निर्वर्तन रु. 1.48 लाख में अग्रिम क्रेता नियुक्त कर किया गया।

संग्रहण वर्ष 2013-14 में कुल 21 इकाइयों में संग्रहित होने वाली 955 क्विंटल गोंद वर्ग दो में से 2 इकाइयों की अधिसूचित मात्रा 60 क्विंटल का अग्रिम में निर्वर्तित किया गया, जिनका विक्रय मूल्य रूपये 3.57 लाख है। गोंद वर्ग-2 में से बबूल एवं खैर गोंद की संग्रहण दर रु. 1740/- प्रति क्विंटल एवं धावड़ा गोंद की संग्रहण दर रु. 2900/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। अग्रिम में अनिर्वर्तित इकाइयों में गोंद वर्ग-2 के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाइयों का विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'झ' एवं 'ञ' में संलग्न है।

(x) वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2011 में कुल 13.57 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था। उक्त तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 156.87 करोड़ वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई। समितियों द्वारा राशि रूपये 155.81 करोड़ वितरित की गई। संग्रहण वर्ष 2011 में जिला यूनियनवार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य राशि एवं वितरित राशि का विवरण परिशिष्ट 'ट-1' में संलग्न है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2012 में कुल 17.15 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था। विगत वर्षों की भांति शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को "प्रोत्साहन पारिश्रमिक" के रूप में वितरित की जाये।

उक्त निर्णय अनुसार वर्ष 2012 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 310.42 करोड़ 896 समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई। जिला यूनियनवार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा उक्त में से राशि रूपये 298.07 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की जा चुकी है, शेष राशि का वितरण कार्य प्रगति पर है। संग्रहण वर्ष 2012 में जिला यूनियनवार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ट-2' में संलग्न है।

(xi) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है। मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 तक राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समय-समय पर जिला यूनियन को दिये गये हैं। वर्ष 1998 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि रू. 93.97 करोड़ एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि रू. 77.31 करोड़ का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ठ' में संलग्न है।

(xii) वन एवं वनोपज विकास के कार्य

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ (व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध राशि) के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें वन क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से लघु वनोपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोपण कार्य कराये जाते हैं। इस योजना के तहत वनमंडल

के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक वनोपज समितियों के क्षेत्र में निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं :-

1. वन विहीन राजस्व एवं वन विभाग की भूमियों पर स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण ।
2. विभिन्न समितियों के वन विहीन उपयुक्त क्षेत्रों में बांस रोपण ।
3. विभिन्न समितियों के क्षेत्र में परम्परागत रूप से विद्यमान लघु वनोपज जैसे हर्षा, आंवला, बहेड़ा, माहुल पत्ता, ईमली एवं अन्य प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का बिगड़े वन क्षेत्र में रोपण ।
4. बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार एवं प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण ।
5. बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा उससे लगे हुए रिक्त राजस्व वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा स्थानीय वनोपज प्रजातियों के रोपण का कार्य ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 1998 से 2004 एवं सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 की उक्तानुसार आय की रूपये 55.47 करोड़ की राशि से वन एवं वनोपज के विकास संबंधी कार्य कराये जाने हैं । इस हेतु जिला यूनियनों को रूपये 55.47 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है । जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार 38.39 करोड़ के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं । जिला यूनियनवार इस हेतु उपलब्ध राशि एवं संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ड' में संलग्न है ।

(xiii) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटीकरण -

संघ मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण का कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से किया जा रहा है । लेखाओं के कम्प्यूटीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई ही है, लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है । संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों में पदस्थ नव नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड - 3 को Tally ERP 9 एवं लेखांकन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिलाया गया, ताकि जिला यूनियन का लेखा Tally ERP 9 के माध्यम से संधारित किया जा सके । संघ के वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, बैलेंसशीट) तैयार किये जा चुके हैं । इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं ।

(xiv) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्पूर्वी मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ है । उक्त विभाजन में आस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में

विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

(xv) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार -

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रांसफर की व्यवस्था लागू की गई है । यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के खातों में उपलब्ध है । इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रांसफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि को बैंकिंग के माध्यम से संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खाते में राशि सीधे जमा कराई जा रही है ।

जिला वनोपज यूनियनों को विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिये पूर्व वर्षों में संघ के भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक 30735345823 से राशि आहरण के अधिकार प्रदान किये गए थे किन्तु जिला स्तर पर उक्त खाते से भुगतान में आ रही कठिनाईयों के कारण अब वर्तमान में जिला यूनियनों के कार्यों के सम्पादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर में सेन्ट्रल पी.एन.बी. फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत खाता क्रमांक 00399005900000058 सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शून्य बैलेन्स खाते खोले गये हैं । जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं ।

इस व्यवस्था के तहत जिला यूनियन आवश्यकतानुसार उक्त खाते से प्रतिदिन राशि रु. 2.00 करोड़ तक के भुगतान कर सकती है एवं उनके द्वारा आहरित/भुगतान की गई राशि प्रतिदिन रायपुर स्थित सेन्ट्रल खाते से जिलों में स्थित बैंक खातों में स्थानान्तरित कर दी जाती है ।

(xvi) पुरुष तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गतवर्ष की भौति ही प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित करने का निर्णय लिया गया था । फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में 12.55 लाख जोड़ी चरणपादुका रूपये 127.05 प्रति जोड़ी की दर से क्रय कर वितरित की जा रही है । जिला यूनियनवार उपलब्ध कराई गई चरणपादुका एवं वितरण की जानकारी परिशिष्ट-ढ में संलग्न है । इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन से रूपये 15.00 करोड़ की राशि वर्ष 2013-14 में संघ को उपलब्ध करायी गयी थी ।

(xvii) महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को साड़ी का वितरण -

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए वर्ष 2013-14 में प्रदेश के लगभग 12.55 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य

को एक सिंथेटिक साड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था, शासन निर्णय के पालन में उक्त साड़ियों के क्रय हेतु संघ कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक Fed/Saree/2013/I Dated 28-01-2013 द्वारा साड़ी क्रय हेतु दिनांक 28.02.2013 तक Online Tender के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित की गयी थी, जिसमें कुल 12 निविदाकारों ने भाग लिया। इन 12 निविदाकारों में से तकनीकी रूप से सफल दो निविदाकारों मेसर्स मफतलाल इंडस्ट्रीज लि. मुम्बई एवं मेसर्स सुनील इंडस्ट्रीज लि. मुम्बई से रुपये 272.30 प्रति साड़ी की दर से क्रय वितरित की जा रही है। जिला यूनियनवार उपलब्ध कराई गई साड़ी एवं वितरित साड़ी का विवरण संलग्न **परिशिष्ट-ण'** में दर्शायी गयी है।

(xviii) तेन्दूपत्ता कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि ।

विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जो अपने कार्य के अतिरिक्त तेन्दूपत्ता संग्रहण/भण्डारण कार्य संपादित करते हैं, को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है -

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी	राशि
1.	जोनल अधिकारी	2400/-
2.	परिक्षेत्र अधिकारी, पोषक अधिकारी, फड़ अभिरक्षक (प्रत्येक फड़ हेतु केवल एक) गोदाम प्रभारी एवं गोदाम पर कार्य करने वाले कर्मचारी, तेन्दूपत्ता परिवहन अधिकारी, वनमंडलाधिकारी/वनसंरक्षक के स्टेनोग्राफर, प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय/वनमंडल कार्यालय एवं वन संरक्षक कार्यालय में तेन्दूपत्ता शाखा में पदस्थ लिपिकीय अमला।	2000/-
3.	वन संरक्षक, प्रबंध संचालक एवं जोनल अधिकारियों के वाहन चालक एवं अन्य वाहन चालक, परिक्षेत्र कार्यालय में कार्यरत लिपिक।	1000/-

उन समितियों के फड़ अभिरक्षक, पोषक अधिकारी एवं जोनल अधिकारी को उपरोक्तानुसार दर्शाई राशि का 75 प्रतिशत ही देय होता है, जिनका पत्ता संग्रहण से पूर्व अग्रिम में विक्रय होकर क्रेता नियुक्त हो चुका है।

अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि की 50 प्रतिशत राशि तेन्दूपत्ता संग्रहण प्रारंभ होने के पूर्व अग्रिम के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समीक्षाकर संबंधित का कार्य संतोष जनक होने पर भुगतान किया जाता है।

तेन्दूपत्ता कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के देय नगद प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत संघ के संचालक मण्डल की 45वीं बैठक दिनांक 14.09.2011 में पारित संकल्प के परिप्रेक्ष्य में छ.ग.शासन वन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

(xix) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत बीमा वर्ष 2009-10 से कराया जा रहा है, ताकि प्रबंधकों की सामान्य मृत्यु पर रूपये 25,000/- पर तथा दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर रूपये 50,000/- उसके आश्रित को उपलब्ध हो सके। प्रबंधकों की बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2012-13 में 876 समिति प्रबंधकों का बीमा जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत कराया गया था। वर्ष 2013-14 में 877 समिति प्रबंधकों के लिये समूह बीमा लागू की गई है जो दिनांक 18.03.2013 से 17.03.2014 तक मान्य रहेगा। समूह बीमा योजना की मास्टर पॉलिसी नम्बर ई.जी.आई. 151281 है।

(xx) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 दिनांक 12 दिसम्बर 2011 से प्रवृत्त हो गया है। इस नियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम दिनांक 14 दिसम्बर 2011 से प्रवृत्त किये गये हैं।

वन विभाग, रायपुर की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2011 में छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ एवं उससे संबंधित जिला यूनियनों व प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करने की अवधि, पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी के पदनाम अधिसूचित किये गये हैं। इस अधिनियम में तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया हेतु जनश्री बीमा योजना तथा उससे जुड़ी छात्रवृत्ति, तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण, तेन्दूपत्ता एवं सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक वितरण एवं चरणपादुका वितरण आदि के कार्यों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

संघ मुख्यालय द्वारा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को अधिनियम की प्रति भेजते हुये अधिनियम, नियम एवं अधिसूचना के मुख्य-मुख्य प्रावधानों से समिति प्रबंधकों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित करने संबंधी निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम 2011 के क्रियान्वयन से संबंधित जिला यूनियन की एकजाई जानकारी भेजने हेतु समस्त वन संरक्षक पदेन महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ को लेख किया गया है।

(xxi) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में संघ मुख्यालय द्वारा मुख्यालय स्तर, समस्त वनवृत्त एवं समस्त जिला यूनियनों के लिये अपीलिय अधिकारी एवं जनसूचना

अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है तथा संघ कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी संघ की वेब-साईट में अपलोड की जा चुकी है ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 (दिनांक 01 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है ।

वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार अंतर्गत संघ मुख्यालय स्तर पर प्राप्त 50 आवेदन पत्र का निराकरण कर वांछित जानकारी/जानकारी प्राप्त करने की सूचना आवेदकों को उपलब्ध करायी गई है ।

वर्ष 2013 में दिनांक 31.10.2013 तक प्राप्त 36 आवेदन पत्रों को निराकरण कर वांछित जानकारी/जानकारी प्राप्त करने की सूचना आवेदकों को उपलब्ध करायी गई है ।

(xxii) अकाष्ठीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन -

छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान हर्बल राज्य के रूप में भी की जाती है । वन क्षेत्रों में अकाष्ठीय वनोपज की प्रचुरता को ध्यान में रखकर उनक संवर्धन तथा विकास हेतु “लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना” की जा रही है । इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों के संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संवर्धन एवं प्रसंस्करण के प्रशिक्षण तथा वन औषधालय की स्थापना के कार्य संपादित कर वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संवर्धन ग्रामीणों को रोजगार के अवसर देते हुये सुनिश्चित किये जा रहे हैं । लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिये राज्य शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना मद से प्राप्त अनुदान द्वारा 2000 हेक्टेयर में 02 तथा संघ मद से प्राप्त राशि द्वारा 15000 हेक्टेयर में 15 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना वर्ष 2013-14 में की गई है । विगत दो वर्षों में उपरोक्त मदों से प्राप्त राशि द्वारा 42000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रख-रखाव के कार्य भी किये जा रहे हैं । परियोजना के लिये आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा संघ मद से वर्ष 2013-14 के लिये क्रमशः राशि रूपये 287.50 लाख तथा रूपये 400.00 लाख प्रावधानित है ।

2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण

2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण

राज्य में कच्चे लघु वनोपज क्रय करने हेतु बाजार मांग एवं उपलब्धता को देखते हुए अधिक बाजार मांग वाली प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व सहायता समूहों के माध्यम से क्रय हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है । स्व सहायता समूह कच्चे लघु वनोपज क्रय करने पश्चात् स्थानीय बाजार अथवा नजदीकी NWFDP मार्ट में उसका विक्रय करते हैं । लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन पद्धति से संग्रहण एवं बाजार मानक के अनुरूप प्रसंस्करण हेतु हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है ।

शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षों की तेन्दूपत्ते के आय की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे इमली, महुआ, चिरौंजी आदि का क्रय-विक्रय, भंडारण एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जावे। इस हेतु वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011 एवं 2012 के तेन्दूपत्ते के व्यापार की आय की 15 प्रतिशत राशि रु. 142.11 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है। स्व सहायता समूह इस हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति से ऋण प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार लघु वनोपज का क्रय-विक्रय कर आय अर्जित कर सकते हैं। स्व-सहायता समूह को रुपये 2000/- प्रति सदस्य के हिसाब से ऋण समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्रक्रिया में वनोपज के क्रय-विक्रय के दर निर्धारण का अधिकार स्व सहायता समूहों को ही है।

2.2 लाख विकास

प्रदेश में ग्रामीणों/वनवासियों द्वारा कम श्रम साध्य कार्य होने के फलस्वरूप परम्परागत रूप से कुसुम, बेर तथा पलाश के वृक्षों पर लाख पालन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2013-14 में अब तक लाख विकास योजना मद में जिला यूनियन पूर्वी सरगुजा एवं कटघोरा में कुल-02 लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की स्थापना कर कार्य सम्पादन किया जा रहा है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्यों के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस की 26 परियोजनाएँ जिला यूनियनों में संचालित की जा रही हैं। परियोजना अवधि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक लगभग 13204 हितग्राहियों को योजना के तहत लाख की खेती के माध्यम से लाभ पहुँचाया जा रहा है। संपूर्ण परियोजना के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि रु. 14.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2011-12 तक स्वीकृत परियोजना के कार्य संपादन हेतु राशि रु. 1123.36 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध सितम्बर 2013 तक रु. 656.78 लाख व्यय की गई है।

वर्तमान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यूरोपियन कमीशन योजना, तथा लाख विकास योजना के माध्यम से स्थापित किये गये कुल 126 लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में इन परियोजनाओं के माध्यम से कुल 46752 हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। लाख पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाख पालन एवं इसकी क्रियाविधि की जानकारी देने हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में वीडियो फिल्म तैयार की जाकर जिला यूनियनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा टी.वी.चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण

प्रदेश में माहुल पत्ता का उत्पादन बहुतायत में होता है। विगत वर्षों में संग्रहित माहुल पत्ता को सीधे अन्य राज्यों में बिक्री किया जाता था, जिससे स्थानीय ग्रामीण वनवासियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। अतः माहुल पत्ता से संग्राहक स्थानीय ग्रामीणों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु 21 माहुल पत्ता प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की गयी है। इन ईकाईयों में स्व-सहायता समूहों के द्वारा माहुल पत्ता का उपचार कर मशीन द्वारा दोना-पत्तल का निर्माण किया जा रहा है।

2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता का शहद बहुतायत में प्राप्त होता है। शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में समूहों से सीधे शहद क्रय किया जाता है। संग्रहित शहद का प्रसंस्करण

एवं बॉटलिंग जिला यूनियन बिलासपुर, जशपुर नगर, कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर में स्थापित प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा किया जाता है। उक्त शहद की बाजार मांग काफी अधिक है।

2.5 इमली संग्रहण एवं प्रसंस्करण

प्रदेश के बस्तर संभाग में उच्च गुणवत्तायुक्त इमली का उत्पादन बहुतायत में होता है। जिला यूनियन दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर एवं जगदलपुर क्षेत्र में स्व-सहायता समूह एवं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इमली का क्रय किया जाता है। इसके प्रसंस्करण हेतु विभिन्न प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किये गए हैं, जहां प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे ब्रिक्स, कैंडी आदि का निर्माण किया जाता है। अतिरिक्त इमली का भंडारण जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा स्थित शीतगृहों में किया जाता है।

2.6 वनौषधि निर्माण

वर्तमान में उत्पादन केन्द्रों में लगभग 70 हर्बल उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं। इन उत्पादों की उत्पादन से बाजार मांग अधिक है। इनके पैकेजिंग आदि में आवश्यक सुधार करने हेतु कार्यवाही जारी है। नारायणपुर जि.यू. में वनौषधि निर्माण केन्द्र का लाइसेंस प्राप्ति एवं स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

3. विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFEP मार्ट की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक / स्व-सहायता समूह/ वन समिति/ प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है। इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद का थोक या रिटेल विक्रय किया जा रहा है।

हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न माध्यम जैसे - इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, एस.एम.एस., होर्डिंग्स, ब्रोशर तथा पैम्पलेट्स आदि द्वारा इन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर एवं जूनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है । प्रदेश में स्थापित 6 NWFP Marts में वित्तीय वर्ष 2012-13 में (सितम्बर 2013 तक) क्रय-विक्रय की प्रगति निम्नानुसार है :-

वर्ष	क्रय मूल्य (रु. लाख में)	विक्रय मूल्य (रु. लाख में)
2013-14 (सितम्बर 2013 तक)	24.40	33.59

- हर्बल उत्पादों के बिक्री हेतु “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न जिला यूनियनों के स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों के विक्रय में वृद्धि के लिये पैकेजिंग तथा लेबल डिजाइनिंग हेतु संघ मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही की गई है ।

4. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है । इसकी कुल लागत ₹ 23.25 करोड़ है, तथा यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुई है । योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक कुल राशि ₹ 2120.64 लाख प्राप्त हुई है ।

इस परियोजना के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं । परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है ।

I. परियोजना का घटकवार विवरण

1. संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर

- (1.1) **संसाधन सर्वेक्षण** - परियोजना अंतर्गत राज्य में 4912 सेम्पल प्लाट डालकर लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किये गये हैं । प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एफ.एस.आई. देहरादून से डाटा एनालिसिस साफ्टवेयर तैयार कराया गया है ।

(1.2) हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा - हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 21 स्थानों का चयन कर 418 वैद्यों के साक्षात्कार के माध्यम से कुल 3399 परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 50 वनौषधालयों की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 48 वनौषधालय स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इन्हें स्थानीय वैद्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन वनौषधालयों की स्थापना हेतु कुल राशि ₹ 206.84 लाख स्वीकृत किए गए हैं। चयनित परंपरागत वैद्यों को वनौषधालय संचालन हेतु राशि ₹ 10000 प्रति वनौषधालय चक्रीय राशि एवं राशि ₹ 100 प्रतिदिन के मान से वैद्यों को मानदेय प्रदाय किया जा रहा है।

2. लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक के अंतर्गत विभिन्न लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये गए हैं। प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति/स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत स्वीकृत 73 माइक्रोइन्टरप्राइजेस में कुल 1341 समूह के अंतर्गत 18077 हितग्राही कार्यरत हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ग	माइक्रो इन्टरप्राइजेस के नाम	मा.ई. की संख्या	स्वीकृत कुल राशि (रु. लाख में)
2.1	लघु वनोपज उत्पादन	लाख पालन	16	294.82
		शहद संग्रहण	4	35.00
2.2	लघु वनोपज संग्रहण	कच्चे वनोपज संग्रहण	16	94.60
2.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण	इमली	5	81.00
		वनौषधि	7	107.36
		तैलीय बीज	2	40.00
		माहुल पत्ता	10	201.00
		चिरौजी	3	44.63
		आंवला	3	35.00
		लाख	1	20.00
		हर्बल खाद्य	1	84.055
	काजू प्रसंस्करण	क्लस्टर लेवल	3	45.30
		काजू संग्रहण	1	39.00
सेंट्रल लेवल		1	43.064	
2.4	लघु वनोपज विपणन	लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों का समूहों के माध्यम से क्रय-विक्रय	49	81.00
योग:-			121	1245.82

उपरोक्त माइक्रोइंटरप्राइजेस के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से तकनीकी परामर्श एवं रिसोर्स पर्सन की सहायता ली गई है, ताकि हितग्राही पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए मा.इ. का लाभ ले सकें ।

3. वनौषधि/हर्बल उत्पाद निर्माण :- यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत डोंगानाला (कटघोरा), केंवची (मरवाही), अतरिया (बिलासपुर), केशोडार (गरियाबंद), कुरंदी (जगदलपुर) तथा पंचक्की (जशपुर) में स्थापित वनौषधि निर्माण केन्द्रों में वनौषधि उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त कर लिया गया है तथा नारायणपुर, धरमजयगढ़, धमतरी में स्थापित केन्द्रों के लिये ड्रग लायसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है । इन केन्द्रों में 70 वनौषधि/हर्बल उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है, जिनका विपणन प्रदेश में स्थापित NWFPMार्ट एवं संजीवनी के माध्यम से किया जा रहा है ।

उपरोक्त केन्द्रों के साथ अन्य 11 प्रमुख हर्बल खाद्य उत्पाद निर्माण केन्द्रों को The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 के अंतर्गत पैकर्स पंजीयन कराये जाने की आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है ।

4. विपणन :- माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने हेतु इस घटक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में “संजीवनी” के नाम से हर्बल उत्पादों के विपणन हेतु 15 प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र भवन निर्माण किया गया है । हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग वनवृत्त में विकासखंड / परिक्षेत्र स्तर पर प्रत्येक संजीवनी की स्थापना हेतु रु 1.00 लाख का आबंटन दिया गया है । हर्बल उत्पाद के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु निर्मित उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग में तकनीकी सहायता के साथ-साथ उत्पाद विक्रय हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी स्व सहायता समूहों को दिया गया है। रायपुर NWFPMार्ट में आम जनता की सुविधा के लिये आयुर्वेद चिकित्सक की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है ।

4.1 बाजार सर्वेक्षण एवं अध्ययन :- अकाष्टीय वनोपज के निर्यात की संभावना ज्ञात किए जाने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली से, राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु वनोपज का योगदान ज्ञात किए जाने हेतु दि लाइवलीहुड स्कूल बेसिक्स, भोपाल से अध्ययन कराया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में लाख खेती एवं प्रसंस्करण का अध्ययन कर अभिलेखन हेतु तथा लाख आधारित उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण का कार्य IINRG रांची के माध्यम से कराया गया है ।

5. अनुसंधान एवं विस्तार - डाबर तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बैंगलोर के विशेषज्ञों के माध्यम से 50 कच्चे लघु वनोपज की विनाश विहीन विदोहन पद्धतियों का निर्धारण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण विधि का मानकीकरण गुणवत्ता सुधार हेतु किया गया है । सी. एफ.टी.आर.आई., मैसूर से इमली एवं आंवला से केण्डी, पल्प तथा स्प्रेड तैयार करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर जगदलपुर में इमली कैंडी प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना

की गयी है। सी.एफ.टी.आर. आई. मैसूर की तकनीकी सहायता से पलाश फूल, बेल एवं तिखुर से नए उत्पाद तैयार करने हेतु अनुसंधान कार्य कराया जा चुका है।

भारत शासन के उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जबलपुर से 6 प्रोजेक्ट पर अनुसंधान कार्य कराया जा रहा है। जिसमें से 03 प्रोजेक्ट का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है तथा शेष 03 पर अनुसंधान कार्य प्रगति पर है।

6. **सूचना प्रबंधन प्रणाली** - इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को 6 वृत्त, 31 जिला यूनिटों, 6 NWFDP मार्ट तथा 4 शहद प्रसंस्करण केन्द्र के साथ कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो। इससे उत्पाद क्रय-विक्रय संबंधी संकलन आसानी से किया जाता है।
7. **प्रमाणीकरण** - इस घटक के अंतर्गत संग्रहित लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी), रायपुर के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकास एवं प्रमाणीकरण के बारे में प्रचार-प्रसार भी इस घटक के तहत किये जा रहे हैं। प्रचार प्रसार हेतु दूरदर्शन से एक जिंगल तथा एक फिल्म का भी निर्माण कराया जा चुका है। वन क्षेत्रों के उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु 24 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं 21 निजी संस्था को चयनित किया गया है, जिसमें से 12 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को स्कोप सर्टिफिकेट जारी किया गया है। साथ ही समितियों को उक्त हेतु प्रशिक्षित भी किया गया है।
8. **क्षमता विकास** - यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत अकाष्टीय वनोपज आधारित विकास में दूरगामी परिणाम लाने हेतु स्व सहायता समूहों का क्षमता विकास किया गया है। इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य शाला आदि आयोजित किये गये हैं। हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन, शहद संग्रहण तथा स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर के सहयोग से प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गयी है। पूर्व में Livelihood Basics School, Bhopal तथा IIFM भोपाल से मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कराया जाकर उक्त मास्टर ट्रेनर के माध्यम से स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण कराया गया है। परियोजना अंतर्गत कुल 8 सेमिनार / कार्यशाला - प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, हर्बल हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी, कच्चे लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन, एकाउंटिंग प्रोसेस एवं एम.आई.एस., क्षमता विकास, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एवं मार्केटिंग ऑफ एन.टी.एफ.पी. विषयों पर आयोजित की गई है, जिसमें कुल 458 स्टॉफ एवं अन्य द्वारा भाग लिया गया है। **परियोजना अंतर्गत अभी तक कुल 19318 हितग्राहियों, 4753 स्टॉफ एवं 2306 वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।**

यूरोपियन कमीशन परियोजना की वित्तीय प्रगति (सितम्बर 2013 की स्थिति में)

क्र	घटक	आबंटित राशि (रु लाख में)	व्यय राशि(रु लाख में)
1	संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	304.20	263.41
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	1325.54	1142.62
3	विपणन	275.70	272.35
4	अनुसंधान एवं विस्तार	94.20	73.34
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)	117.80	124.46
6	प्रमाणीकरण	50.40	35.31
7	क्षमता विकास	157.80	120.06
	योग	2325.64	2031.55

यूरोपियन कमीशन परियोजना क्रियान्वयन में वर्ष 2012-13 तक किए गए व्यय का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत पदों की जानकारी

अ.क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	अपर प्रबंध संचालक (अ.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
5	उप वन संरक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	1	1	6	3	3	30	19	11	38	23	15
10	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
11	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	41	139	180	41	139
12	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (नियमित)	7	6	1	6	5	1	32	28	4	45	39	6
17	स्टाफ ऑफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
18	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
19	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	शीघ्रलेखक (नियमित वेतनमान)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
21	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
22	अधीक्षक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23	लेखा अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	वरिष्ठ लेखापाल	5	3	2	0	0	0	0	0	0	5	3	2
25	लेखापाल	4	4	0	6	5	1	22	18	4	32	27	5
26	कनिष्ठ लेखापाल	6	3	3	0	0	0	13	9	4	19	12	7
27	सहायक वर्ग-3	9	7	2	6	6	0	45	44	1	60	57	3
28	स्वागतकर्ता सहायक वर्ग-3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29	वाहन चालक	6	4	2	0	2	-2	6	5	1	12	11	1
30	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	संदेशवाहक	12	11	1	12	12	0	86	81	5	110	104	6
32	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	78	60	18	36	33	3	424	245	179	538	338	200

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2013

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			
			लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित एवं क्रेता को परिदत्त मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6	7
बीजापुर	39	47700.000	25	46695.452	136525102.11	2923.73
सुकमा	48	79500.000	7	15240.990	32085691.60	2105.22
देतेवाड़ा	13	23500.000	7	23816.785	53584532.79	2249.86
जगदलपुर	15	25500.000	4	7238.167	12926026.85	1785.81
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	5	8664.020	16546546.16	1909.80
उत्तर कोंडागांव	16	29400.000	12	22828.704	48304152.40	2115.94
नारायणपुर	12	21400.000	4	5233.725	9689887.57	1851.43
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	99700.000	56	96433.410	291236676.38	3020.08
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	38	63410.735	167056821.01	2634.52
कांकर	24	41100.000	22	38598.560	113898706.00	2950.85
राजनांदगांव	51	87200.000	50	79210.815	211563720.96	2670.89
खैरागढ़	24	44900.000	21	28507.815	62701368.38	2199.44
दुर्ग	18	28800.000	18	27814.298	72036480.32	2589.91
कवर्धा	24	44400.000	21	28750.290	69417105.51	2414.48
धमतरी	23	32900.000	23	29322.940	79033814.72	2695.29
उदन्ती	19	24900.000	18	22864.135	67186532.38	2938.51
पूर्व रायपुर	43	65500.000	43	63615.471	220128132.56	3460.29
महासमुंद्र	69	101700.000	68	91043.160	253253843.46	2781.69
रायपुर	16	26900.000	15	23398.545	63194843.07	2700.80
बिलासपुर	16	24700.000	14	19278.890	47574660.59	2467.71
मरवाही	19	29300.000	18	23805.280	66294508.48	2784.87
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	4	4898.370	9222384.31	1882.75
रायगढ़	41	63900.000	41	58389.935	155724645.36	2666.98
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	78399.055	235963766.81	3009.78
कोरबा	34	54600.000	31	44063.500	137845896.22	3128.35
कटघोरा	39	78700.000	35	56373.415	175685297.75	3116.46
जशपुर नगर	20	36600.000	18	28487.345	58942888.90	2069.09
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	18	30288.385	69765163.44	2303.36
कोरिया	16	29400.000	14	30596.715	80459707.67	2629.68
दक्षिण सरगुजा	28	67100.000	26	54894.280	137491274.38	2504.66
पूर्व सरगुजा	29	71700.000	21	41863.960	92985266.09	2221.13
उत्तर सरगुजा	52	125600.000	42	95932.445	198829083.67	2072.59
कुल योग	950	1643800.000	792	1289959.592	3447154527.90	2672.30

जिला यूनियनवार अग्रिम में अविक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2013

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	कुल संग्रहण (मानक बोरा में)	गोदामीकरण उपरांत विक्रित लाटों का विवरण				
			लाटों की संख्या	अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रित लाटों की मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6	7	8
बीजापुर	39	52598.865	4	5903.413			
सुकमा	48	21301.706	10	6060.716			
देतिवाड़ा	13	32464.166	6	8647.381			
जगदलपुर	15	27603.675	11	20365.508			
दक्षिण कोंडागांव	11	25494.387	6	16830.367			
उत्तर कोंडागांव	16	31540.525	4	8711.821			
नारायणपुर	12	21733.321	8	16499.596			
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	96433.410	0	0.000			
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	80688.780	17	17278.045			
कांकेर	24	42492.510	2	3893.950			
राजनांदगांव	51	80250.085	1	1039.270			
खैरागढ़	24	34378.030	3	5870.215			
दुर्ग	18	27814.298	0	0.000			
कवर्धा	24	32625.725	3	3875.435			
धमतरी	23	29322.940	0	0.000			
उदन्ती	19	24230.109	1	1365.974			
पूर्व रायपुर	43	63615.471	0	0.000			
महासमुंद	69	91533.135	1	489.975			
रायपुर	16	24471.710	1	1073.165			
बिलासपुर	16	21881.240	2	2602.350			
मरवाही	19	24337.360	0	532.080	532.080	1073205.36	2017.00
जांजगीर-चांपा	7	8168.400	3	3270.030			
रायगढ़	41	58389.935	0	0.000			
धरमजयगढ़	53	78399.055	0	0.000			
कोरबा	34	47504.415	2	3440.915	922.080	2046095.52	594.64
कटघोरा	39	61845.784	4	5472.369			
जशपुर नगर	20	32489.035	2	4001.690			
मनेन्द्रगढ़	20	33551.370	2	3262.985			
कोरिया	16	34683.835	2	4087.120			
दक्षिण सरगुजा	28	57749.620	2	2855.340			
पूर्व सरगुजा	29	56584.746	9	14720.786			
उत्तर सरगुजा	52	115020.950	10	19088.505			
कुल योग	950	1471198.593	116	181239.001	1454.160	3119300.88	2145.09

सालबीज संग्रहण वर्ष 2013 का संग्रहण एवं विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय हेतु शेष मात्रा (क्विंटल में)
1	2	3	4	5	6	7
कोरिया	1	कोरिया	6600.000	0.000	0.000	0.00
मनेन्द्रगढ़	2	मनेन्द्रगढ़	4700.000	0.000	0.000	0.00
उत्तर सरगुजा	3	उत्तर सरगुजा	11000.000	0.000	0.000	0.00
पूर्व सरगुजा	4	पूर्व सरगुजा	30000.000	0.000	0.000	0.00
दक्षिण सरगुजा	5	दक्षिण सरगुजा	26800.000	379.830	379.830	0.00
जशपुरनगर	6	अपरघाट	20000.000	0.000	0.000	0.00
जशपुरनगर	7	लोअरघाट	35000.000	0.000	0.000	0.00
कोरबा	8	कोरबा	1000.000	0.000	0.000	0.00
रायगढ़	9	रायगढ़	2500.000	0.000	0.000	0.00
धर्मजयगढ़	10	धर्मजयगढ़	3000.000	0.000	0.000	0.00
कटघोरा	11	कटघोरा	2500.000	0.000	0.000	0.00
बिलासपुर	12	बिलासपुर	2500.000	0.000	0.000	0.00
मरवाही	13	मरवाही	3000.000	0.000	0.000	0.00
कांकेर	14	कांकेर	3000.000	0.000	0.000	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	15	भानुप्रतापपुर	3000.000	0.000	0.000	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	16	आमाबेड़ा	3500.000	0.000	0.000	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	17	कोयलीबेड़ा	500.000	0.000	0.000	0.00
उत्तर कोण्डागांव	18	बड़े राजपुर	4000.000	0.000	0.000	0.00
उत्तर कोण्डागांव	19	केशकाल	2000.000	57.130	57.130	0.00
उत्तर कोण्डागांव	20	फरसगढ़	2000.000	0.000	0.000	0.00
उत्तर कोण्डागांव	21	बड़ेडोंगर	2000.000	0.000	0.000	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	22	माकड़ी	5000.000	130.000	130.000	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	23	कोण्डागांव	5000.000	103.330	103.330	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	24	मुलमुला	5000.000	55.500	55.500	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	25	मर्दापाल	2000.000	12.270	12.270	0.00
नारायणपुर	26	नारायणपुर	2500.000	0.000	0.000	0.00
दत्तेवाडा	27	दत्तेवाडा	500.000	0.000	0.000	0.00
जगदलपुर	28	बकावंड	10000.000	367.350	367.350	0.00
जगदलपुर	29	कर्पावंड	7000.000	122.600	122.600	0.00
जगदलपुर	30	जगदलपुर	8000.000	59.500	59.500	0.00
जगदलपुर	31	भनपुरी	10000.000	0.000	0.000	0.00
सुकमा	32	सुकमा	1000.000	0.000	0.000	0.00
पूर्व रायपुर	33	पूर्व रायपुर	8000.000	0.000	0.000	0.00
उदन्ती	34	उदन्ती	2000.000	0.000	0.000	0.00
रायपुर	36	रायपुर	300.000	0.000	0.000	0.00
धमतरी	37	धमतरी	4000.000	0.000	0.000	0.00
कवर्धा	38	कवर्धा	3800.000	0.000	0.000	0.00
योग			242700.00	1287.510	1287.510	0.000

हरा संग्रहण वर्ष 2012-13 का विक्रय

जिला युनिवर्ष	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	संग्रहित मात्रा				विक्रय दर रु. प्रति किंवटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			हरा (किंवटल में)	कचरिया (किंवटल में)	बालहरा (किंवटल में)	कुल हरा (किंवटल में)					
कांकेर	1	कांकेर	5036.500	9.100	0.000	5054.700	901.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	4554284.70	4069033.50
कांकेर	2	नरहरपुर	3771.580	913.280	0.000	5598.140	916.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	5127896.24	4506502.70
कांकेर	3	सरोना	1079.890	0.000	0.000	1079.890	805.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिसाल एण्ड कंपनी	869311.45	869311.45
कांकेर	4	कोर	1762.450	0.000	0.000	1762.450	900.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1586205.00	1418772.25
कांकेर	5	चरामा	2657.000	117.700	0.000	2892.400	900.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	2603160.00	2328382.00
उत्तर कोण्डगांव	6	फरसगांव	2164.140	0.000	0.000	2164.140	0.00			0.00	0.00
उत्तर कोण्डगांव	7	केसकल	3378.970	0.000	0.000	3378.970	0.00			0.00	0.00
दक्षिण कोण्डगांव	8	पूर्व कोण्डगांव	225.550	0.000	0.000	225.550	0.00			0.00	0.00
दक्षिण कोण्डगांव	9	पश्चिम कोण्डगांव	34.600	0.000	0.000	34.600	0.00			0.00	0.00
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	1129.700	0.000	0.000	1129.700	0.00			0.00	0.00
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	1029.640	0.000	0.000	1029.640	0.00			0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	142.580	0.000	0.000	142.580	0.00			0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतगढ़	365.600	0.000	0.000	365.600	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	6.850	0.000	0.000	6.850	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	11.150	0.530	0.000	12.210	0.00			0.00	0.00
जगदलपुर	16	बस्तर	381.640	0.000	0.000	381.640	0.00			0.00	0.00
सुकमा	17	सुकमा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
दोतेवाडा	18	दोतेवाडा	16.800	0.000	0.000	16.800	0.00			0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद	185.000	0.000	0.000	185.000	1019.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	188515.00	148925.00
धमतरी	22	धमतरी	1083.100	403.300	0.000	1889.700	907.00	अग्रिम	मेसर्स सत्योम टेडर्स	1713957.90	1521208.50
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
उदन्ती	24	उदन्ती	131.450	0.000	0.000	131.450	0.00			0.00	0.00
दुर्ग	25	दुर्ग	278.700	357.800	0.000	994.300	933.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	927681.90	800411.50
कवर्धा	26	कवर्धा	65.000	0.000	0.000	65.000	1017.00	अग्रिम	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	66105.00	52325.00
खैरागढ़	27	खैरागढ़	12.000	0.000	0.000	12.000	1011.00	अग्रिम	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	12132.00	9660.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	846.150	0.000	0.000	846.150	852.00	गैवामीकृत	मेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	720919.80	732765.90
मरवाही	29	मरवाही	0.000	0.000	0.000	निरंक	0.00			0.00	0.00
कोरवा	30	कोरवा	11.930	4.160	0.000	20.250	0.00			0.00	0.00
कटघोरा	31	कटघोरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़	70.720	9.200	0.000	89.120	0.00			0.00	0.00
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	28.000	0.000	0.000	28.000	0.00			0.00	0.00
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	81.900	5.450	0.000	92.800	0.00			0.00	0.00
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	20.000	25.000	0.000	70.000	0.00			0.00	0.00
कोरिया	38	कोरिया	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
जहपुरनगर	39	जहपुरनगर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
योग			26008.590	1845.520	0.000	29699.630				18370168.99	16457297.80

हरा की अनुमानित मात्रा 29699.630
विक्रित हरा 20379.730
अविक्रित हरा 9319.900

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 18370168.99
विक्रय मूल्य प्रति किंवटल 901.39
कुल व्यय 805/- एवं 866/- प्रति किंवटल 16457297.80
शुद्ध लाभ 1912871.19
शुद्ध लाभ प्रति किंवटल 93.86
संग्रहण मजदूरी 800/- प्रति किंवटल 23759704.00

हरा संग्रहण वर्ष 2013-14 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
कांकेर	1	कांकेर	4000	0.00			0.00	0.00
कांकेर	2	नरहरपुर	4000	855.00	अग्रिम	भेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	3420000.00	2620000.00
कांकेर	3	सरोना	1000	701.00	अग्रिम	भेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	701000.00	655000.00
कांकेर	4	कोरर	3000	0.00			0.00	0.00
कांकेर	5	धरमा	2500	711.00	अग्रिम	भेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	1777500.00	1637500.00
उत्तर कोण्डगांव	6	फरसगांव	2000	0.00			0.00	0.00
उत्तर कोण्डगांव	7	केसकल	3000	0.00			0.00	0.00
दक्षिण कोण्डगांव	8	पूर्व कोण्डगांव	3700	0.00			0.00	0.00
दक्षिण कोण्डगांव	9	पश्चिम कोण्डगांव	800	0.00			0.00	0.00
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2000	0.00			0.00	0.00
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	2500	0.00			0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	4000	0.00			0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागड़	2500	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	1000	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	500	0.00			0.00	0.00
जगदलपुर	16	बस्तर	2500	0.00			0.00	0.00
सुकुमा	17	सुकुमा	100	0.00			0.00	0.00
दतिवाडा	18	दतिवाडा	100	0.00			0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर	100	0.00			0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर	100	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद	1000	739.00	अग्रिम	भेसर्स रामफल दिनेश कुमार	739000.00	655000.00
धमतरी	22	धमतरी	3000	870.00	अग्रिम	भेसर्स तुलसीदास भगवानदास	2610000.00	1965000.00
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	200	0.00			0.00	0.00
उदन्ती	24	उदन्ती	500	0.00			0.00	0.00
दुर्ग	25	दुर्ग	500	830.00	अग्रिम	भेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	415000.00	327500.00
कनर्धा	26	कनर्धा	100	851.00	अग्रिम	भेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	85100.00	65500.00
खैरगढ़	27	खैरगढ़	100	0.00			0.00	0.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	1500	0.00			0.00	0.00
मरवाही	29	मरवाही	250	0.00			0.00	0.00
कोरबा	30	कोरबा	200	0.00			0.00	0.00
कटघोरा	31	कटघोरा	200	0.00			0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़	100	701.00	अग्रिम	भेसर्स सत्योम ट्रेडर्स	70100.00	65500.00
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	250	701.00	अग्रिम	भेसर्स सत्योम ट्रेडर्स	175250.00	163750.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	100	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	100	0.00			0.00	0.00
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	250	0.00			0.00	0.00
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	500	0.00			0.00	0.00
कोरिया	38	कोरिया	300	0.00			0.00	0.00
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	500	0.00			0.00	0.00
योग			49050				9992950.00	8154750.00

हरा की अनुमानित मात्रा 49050.000
विक्रित हरा 12450.000
अविक्रित हरा 36600.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 9992950.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल 802.65
कुल व्यय 655/- एवं 716/- प्रति क्विंटल 8154750.00
शुद्ध लाभ 1838200.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल 147.65
संग्रहण मजदूरी 650/- प्रति क्विंटल 31882500.00

कुल्लू गौद संग्रहण वर्ष 2012-13 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)			विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			ग्रेड - I	ग्रेड - II	योग					
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	30.000	11.290	4.170	15.460	27200.00	अग्रिम	भेसर्स शुम्भकलाल साव	420512.00	390818.50
2	नारायणपुर	50.000	0.000	26.000	26.000	30300.00	अग्रिम	श्री कुशल जैन	787800.00	529100.00
3	सुकमा	250.000	0.000	47.000	47.000	27511.00	अग्रिम	भेसर्स रतन ट्रेडर्स	1293017.00	956450.00
4	बीजापुर	250.000	0.000	20.000	20.000	35511.00	अग्रिम	भेसर्स रतन ट्रेडर्स	710220.00	407000.00
5	दंतेवाडा	200.000	81.455	0.000	81.455	27051.00	अग्रिम	भेसर्स हुकुमचंद कालुराम गुप्ता	2203439.21	2207430.50
योग			92.745	97.170	189.915				5414988.21	4490799.00

गौद की अनुमानित मात्रा 189.915
विक्रित मात्रा 189.915
अविक्रित मात्रा 0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 5414988.21
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल 28512.69
कुल व्यय 27100/- एवं 20350/- प्रति क्विंटल 4490799.00
शुद्ध लाभ 924189.21
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल 4866.33
संग्रहण मजदूरी 27000/- एवं 20250/- प्रति क्विंटल 4447515.00

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2013-14 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30.000	27511.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	825330	762375
2	नारायणपुर	30.000	0.00			0	0
3	सुकमा	100.000	27050.00	अग्रिम	मेसर्स रोहित हुकूमचंद गुप्ता	2705000	2541250
4	बीजापुर	100.000	28515.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	2851500	2541250
5	दत्तेवाडा	100.000	27050.00	अग्रिम	मेसर्स रोहित हुकूमचंद गुप्ता	2705000	2541250
योग		360.000				9086830	8386125

गोंद की अनुमानित मात्रा	360.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	9086830.00
विक्रित मात्रा	330.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	27535.85
अविक्रित मात्रा	30.000	कुल व्यय 27100/- एवं 20350/- प्रति क्विंटल	8386125.00
		शुद्ध लाभ	700705.00
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	2123.35
		संग्रहण मजदूरी 27000/- एवं 20250/- प्रति क्विंटल	9112500.00

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2012-13 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा			विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			धावड़ा (क्विंटल में)	खैर/बबूल (क्विंटल में)	कुल गोंद (धावड़ा) (क्विंटल में)					
1	सरगुजा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
2	कोरिया	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
3	रायगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
4	धर्मजयगढ़	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
5	पेन्डा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
6	धमतरी	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
7	महासमुंद	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
8	रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	3000.00	भेसर्स रोहित हुक्मचंद गुप्ता		निरंक	निरंक
9	पूर्व रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
10	उदन्ती	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
11	दुर्ग	100.000	0.000	30.200	18.120	3051.00	श्री मोहम्मद ज़ुबार तिगाला	55284.12	54813.00	
12	कवर्धा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
13	खैरागढ़	25.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
14	राजनांदगांव	150.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
15	पक्किम भानुप्रतापपुर	100.000	15.000	0.000	15.000	3111.00	अग्रिम भेसर्स रतन ट्रेडर्स	46665.00	44625.00	
16	नारायणपुर	50.000	0.000	0.000	0.000	3300.00	अग्रिम श्री कुशल जैन	0.00	0.00	
17	जगदलपुर	10.000	0.500	0.000	0.500	31111.00	अग्रिम भेसर्स रतन ट्रेडर्स	15555.50	1487.50	
18	बीजापुर	50.000	5.000	0.000	5.000	6150.00	अग्रिम भेसर्स रतन ट्रेडर्स	30750.00	14875.00	
19	सुकमा	100.000	0.000	0.000	0.000	3500.00	अग्रिम भेसर्स रतन ट्रेडर्स	0.00	0.00	
20	बिलासपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
21	जांजगीर-चांपा	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			निरंक	निरंक
योग		955.000	20.500	30.200	38.620				148254.62	115800.50

	धावड़ा	खैर/बबूल	
गोंद की संग्रहित मात्रा	20.500	30.200	50.700
विक्रित गोंद	20.500	30.200	50.700
अविक्रित गोंद	0.000	0.000	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	148254.62
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	3838.80
कुल व्यय 28975/- एवं 1815/- प्रति क्विंटल	115800.50
शुद्ध लाभ	32454.12
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	840.34
संग्रहण मजदूरी 2900/- एवं 1740/- प्रति क्विंटल	111998.00

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2013-14 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	सरगुजा	10					
2	कोरिया	10					
3	रायगढ़	50					
4	धर्मजयगढ़	10					
5	पेन्झा	10					
6	धमतरी	10					
7	महासमुंद	50					
8	रायपुर	50					
9	पूर्व रायपुर	50					
10	उदन्ती	10					
11	दुर्ग	100					
12	कवर्धा	10					
13	खैरागढ़	25					
14	राजनांदगांव	150					
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	100					
16	नारायणपुर	50					
17	जगदलपुर	10	5111.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	51110.00	22790.00
18	बीजापुर	50	6115.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	305750.00	113950.00
19	सुकमा	100					
20	बिलासपुर	50					
21	जांजगीर-चांपा	50					
		955				356860.00	136740.00

अनुमानित गोंद 955.000
विक्रित गोंद 60.000
अविक्रित गोंद 745.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 356860.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल 5947.67
कुल व्यय 2975/- एवं 1815/- प्रति क्विंटल 136740.00
शुद्ध लाभ 220120.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल 3668.67
संग्रहण मजदूरी 2900/- एवं 1740/- प्रति 2104820.00
क्विंटल

परिशिष्ट - 'ट-1'

संग्रहण वर्ष 2011 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रु. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	668.13	668.13	0.00
2	पूर्वी सरगुजा	330.41	330.41	0.00
3	मनेन्द्रगढ़	335.44	335.44	0.00
4	कोरिया	277.57	277.57	0.00
5	दक्षिण सरगुजा	466.78	466.78	0.00
6	जशपुरनगर	288.84	288.84	0.00
7	धरमजयगढ़	1005.61	1005.61	0.00
8	रायगढ़	622.44	622.44	0.00
9	मरवाही	268.68	268.68	0.00
10	कटघोरा	910.44	906.42	4.02
11	कोरबा	715.11	715.11	0.00
12	जांजगीर चांपा	32.10	32.10	0.00
13	बिलासपुर	208.14	208.14	0.00
14	महासमुन्द	1035.31	1035.31	0.00
15	रायपुर	255.21	255.00	0.21
16	धमतरी	304.02	304.02	0.00
17	पूर्व रायपुर	731.59	731.59	0.00
18	उदन्ती	285.90	285.90	0.00
19	कांकेर	531.67	531.67	0.00
20	उत्तर कोण्डागांव	231.69	231.69	0.00
21	दक्षिण कोण्डागांव	159.84	159.84	0.00
22	नारायणपुर	180.44	180.44	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	1425.23	1425.23	0.00
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	725.90	725.90	0.00
25	सुकमा	726.22	644.60	81.62
26	बीजापुर	737.33	737.33	0.00
27	जगदलपुर	165.48	165.48	0.00
28	दंतेवाड़ा	264.69	264.69	0.00
29	दुर्ग	275.57	275.57	0.00
30	कवर्धा	312.69	312.69	0.00
31	राजनांदगांव	910.86	910.86	0.00
32	खैरागढ़	297.89	297.89	0.00
योग		15687.22	15601.37	85.85

परिशिष्ट - 'ट-2'

संग्रहण वर्ष 2012 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रु. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	1966.74	1918.97	47.77
2	पूर्वी सरगुजा	1010.29	1010.29	0.00
3	मनेन्द्रगढ़	807.40	807.40	0.00
4	कोरिया	756.48	726.68	29.80
5	दक्षिण सरगुजा	1270.35	1270.35	0.00
6	जशपुरनगर	625.72	623.61	2.11
7	धरमजयगढ़	1912.45	1908.08	4.37
8	रायगढ़	1192.15	1192.15	0.00
9	मरवाही	663.34	663.34	0.00
10	कटघोरा	1891.71	1891.71	0.00
11	कोरबा	1299.88	1288.93	10.95
12	जांजगीर चांपा	84.95	84.95	0.00
13	बिलासपुर	423.29	423.29	0.00
14	महासमुन्द	1907.79	1907.79	0.00
15	रायपुर	535.21	535.21	0.00
16	धमतरी	610.31	610.31	0.00
17	पूर्व रायपुर	1560.28	1560.28	0.00
18	उदन्ती	473.69	473.69	0.00
19	कांकेर	836.42	836.42	0.00
20	उत्तर कोण्डागांव	415.10	351.79	63.31
21	दक्षिण कोण्डागांव	311.01	253.41	57.60
22	नारायणपुर	350.72	350.72	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	2286.95	2286.95	0.00
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	1286.16	1281.74	4.42
25	सुकमा	1223.48	725.15	498.33
26	बीजापुर	1247.33	872.67	374.66
27	जगदलपुर	288.14	288.14	0.00
28	दंतेवाड़ा	424.49	369.84	54.65
29	दुर्ग	492.96	429.84	63.12
30	कवर्धा	707.25	683.38	23.87
31	राजनांदगांव	1491.82	1491.82	0.00
32	खैरागढ़	688.00	688.00	0.00
योग		31041.86	29806.90	1234.96

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1998 से 2007 तक उपलब्ध राशि

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1998 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यों की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने के शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	356.09	326.49	29.61
2	पूर्व सरगुजा	111.19	101.17	10.02
3	मनेन्द्रगढ़	245.96	244.08	1.87
4	कोरिया	213.06	161.59	51.48
5	दक्षिण सरगुजा	145.40	95.96	49.45
6	जशपुरनगर	64.41	58.73	5.68
7	धर्मजयगढ़	594.42	532.40	62.02
8	रायगढ़	336.56	312.86	23.70
9	मरवाही	180.00	140.62	39.38
10	कटघोरा	643.45	584.44	59.01
11	कोरबा	510.42	546.99	-36.58
12	जांजगीर-चांपा	5.49	3.04	2.45
13	बिलासपुर	44.37	40.65	3.73
14	महासमुन्द	657.58	555.38	102.20
15	रायपुर	242.89	166.81	76.07
16	धमतरी	318.30	255.36	62.93
17	पूर्व रायपुर	707.65	669.51	38.14
18	उदन्ती	169.68	158.07	11.61
19	कांकेर	334.91	185.29	149.62
20	उ. कोण्डगांव	132.20	92.92	39.28
21	द. कोण्डगांव	98.01	72.31	25.70
22	नारायणपुर	64.65	80.13	-15.49
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	811.78	601.78	209.99
24	प. भानुप्रतापपुर	291.59	246.18	45.41
25	सुकमा	393.86	232.84	161.03
26	बीजापुर	433.18	325.79	107.39
27	जगदलपुर	71.93	69.20	2.73
28	दन्तेवाड़ा	100.20	89.77	10.43
29	दुर्ग	190.70	94.32	96.38
30	कवर्धा	168.15	140.26	27.89
31	राजनांदगांव	570.23	460.35	109.88
32	खैरागढ़	189.63	86.25	103.37
योग		9397.92	7731.54	1666.39

परिशिष्ट - 'ड'

वन एवं वनोपज का विकास हेतु उपलब्ध राशि

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वन एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	आहरित राशि
1	2	3	4
1	उत्तर सरगुजा	190.45	54.99
2	पूर्व सरगुजा	84.25	68.86
3	मनेन्द्रगढ़	125.32	115.90
4	कोरिया	122.59	61.60
5	दक्षिण सरगुजा	81.31	32.82
6	जशपुरनगर	59.65	15.84
7	धर्मजयगढ़	329.55	244.16
8	रायगढ़	197.46	163.18
9	मरवाही	96.11	81.68
10	कटघोरा	338.20	324.99
11	कोरबा	291.64	275.79
12	जांजगीर-चांपा	4.17	1.90
13	बिलासपुर	13.27	28.17
14	महासमुन्द	319.58	305.25
15	रायपुर	147.10	95.00
16	धमतरी	194.69	193.93
17	पूर्व रायपुर	423.70	305.86
18	उदन्ती	80.70	70.68
19	कांकेर	193.15	166.31
20	उ. कोण्डागांव	135.29	89.31
21	द. कोण्डागांव	125.46	94.01
22	नारायणपुर	42.24	35.58
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	414.55	152.22
24	प. भानुप्रतापपुर	148.37	135.82
25	सुकमा	303.23	111.82
26	बीजापुर	325.62	168.93
27	जगदलपुर	88.58	81.08
28	दन्तेवाड़ा	75.63	45.60
29	दुर्ग	95.39	50.86
30	कवर्धा	76.47	52.61
31	राजनांदगांव	319.89	247.29
32	खैरागढ़	103.31	21.00
	योग	5546.92	3893.04

परिशिष्ट-‘ढ’

वर्ष 2013 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को चरणपादुका वितरण की प्रगति की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन में उपलब्ध कराई गई चरणपादुकाओं की संख्या	वितरित चरणपादुकाओं की संख्या	वितरण हेतु शेष चरणपादुकाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोरिया	28374	28374	0
2	मनेन्द्रगढ़	30244	30244	0
3	जशपुरनगर	44405	44405	0
4	उत्तर सरगुजा	71728	71728	0
5	दक्षिण सरगुजा	58131	58131	0
6	पूर्व सरगुजा	56860	56860	0
7	बिलासपुर	21608	21608	0
8	मरवाही	31015	31015	0
9	कटघोरा	65795	65795	0
10	कोरबा	37930	37930	0
11	जांजगीर-चांपा	9792	9792	0
12	रायगढ़	54409	54409	0
13	धरमजयगढ़	51465	51465	0
14	रायपुर	25946	25946	0
15	पूर्व रायपुर	40806	40806	0
16	उदन्ती	21038	21038	0
17	धमतरी	28642	28642	0
18	महासमुंद	101624	101624	0
19	दुर्ग	25657	25657	0
20	राजनांदगांव	52274	52274	0
21	खैरागढ़	23099	23099	0
22	कवर्धा	29125	29125	0
23	कांकेर	34893	34893	0
24	पूर्व भानुप्रतापपुर	36364	36364	0
25	पश्चिम भानुप्रतापपुर	33736	33736	0
26	नारायणपुर	17147	17147	0
27	दक्षिण कोण्डागांव	30839	30839	0
28	उत्तर कोण्डागांव	27881	27881	0
29	जगदलपुर	31698	31698	0
30	दत्तेवाड़ा	31567	31567	0
31	बीजापुर	40889	40889	0
32	सुकमा	59754	40960	18794
योग		1254735	1235941	18794

परिशिष्ट-‘ण’

वर्ष 2013 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को साड़ी वितरण की प्रगति की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन में उपलब्ध कराई गई साड़ियों की संख्या	वितरित साड़ियों की संख्या	वितरण हेतु शेष साड़ियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोरिया	28374	28374	0
2	मनेन्द्रगढ़	30244	30244	0
3	जशपुरनगर	44405	44405	0
4	उत्तर सरगुजा	71728	58139	13589
5	दक्षिण सरगुजा	58131	58131	0
6	पूर्व सरगुजा	56860	56860	0
7	बिलासपुर	21608	21608	0
8	मरवाही	31015	31015	0
9	कटघोरा	65795	65795	0
10	कोरबा	37930	37930	0
11	जांजगीर-चांपा	9700	9700	0
12	रायगढ़	54409	54409	0
13	धरमजयगढ़	51465	51465	0
14	रायपुर	25946	25946	0
15	पूर्व रायपुर	40806	40806	0
16	उदन्ती	21038	21038	0
17	धमतरी	28642	28642	0
18	महासमुंद	101624	101624	0
19	दुर्ग	25697	25697	0
20	राजनांदगांव	52274	52274	0
21	खैरागढ़	23099	23099	0
22	कवर्धा	29100	29100	0
23	कांकेर	34893	34452	441
24	पूर्व भानुप्रतापपुर	36364	36364	0
25	पश्चिम भानुप्रतापपुर	33736	31286	2450
26	नारायणपुर	17147	12625	4522
27	दक्षिण कोण्डागांव	30839	30835	4
28	उत्तर कोण्डागांव	27881	27881	0
29	जगदलपुर	31698	31698	0
30	दत्तेवाड़ा	31467	31467	0
31	बीजापुर	40889	38890	1999
32	सुकमा	59754	38450	21304
योग		1254558	1210249	44309

विषय क्रमांक - 3

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।

(i) संघ में रिक्त पदों की भरती

संघ में जो भी रिक्त पद होंगे उन पर भरती संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) वनोपज सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल

वर्ष 2008 में 896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में संचालक मण्डल की गठन की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा प्रदेश में प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन कराया गया था । प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का कार्यकाल क्रमशः 02.05.2013, 06.05.2013 तथा 09.05.2013 को समाप्त हो गया है । अतः प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में बहिर्गामी प्रबंध समिति के कार्यकाल का अवसान हो जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के अधीन कार्यवाही करते हुये समस्त समितियों में प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है । इसी प्रकार जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में भी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 49(4)(8) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है । छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ में भी बहिर्गामी प्रबंध समिति के संचालकों द्वारा स्वमेव पद रिक्त किये जाने से संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई है ।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन 2012) अधिनियम के प्रावधानानुसार सहकारी समितियों में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन कराये जाने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को है । इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को विभिन्न पत्रों द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु लेख किया गया है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की कार्यवाही अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है ।

(iii) वनोपज सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल

नवीन जिलों के गठन के कारण नवीन वन मण्डलों के अस्तित्व में आने से नवीन जिला यूनियनों का गठन दिनांक 30 मार्च 2013 को किया गया है, जो माह अप्रैल 2013 से अस्तित्व में आ चुका है । नवीन जिला वनोपज का गठन उनके सविलियन तथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जिला यूनियनों के पुर्नगठन की कार्यवाही किया जाकर निम्न नवीन जिला यूनियन कार्यशील है :-

जिला यूनियन रायपुर के स्थान पर नवीन जिला यूनियन बलौदा-बाजार, दुर्ग के स्थान पर बालोद, पूर्व रायपुर एवं उदन्ती के स्थान पर गरियाबंद, दक्षिण सरगुजा के स्थान पर सरगुजा, उत्तर सरगुजा के स्थान पर सूरजपुर एवं पूर्व सरगुजा के स्थान पर बलारामपुर कार्यशील है ।

(iv) तेन्दूपत्ते का व्यापार

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2013 एवं पूर्व के वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2014 में कुल 950 लाटों में लगभग 16.438 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य कराया जाकर अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को तेन्दूपत्ता का परिदान दिया जावेगा तथा क्रेता करारनामा की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी । तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रू. 197.26 करोड़ की संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है । तेन्दूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त कलेक्टर तथा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ को जारी किया जा चुका है । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाएँ ली जावेगी ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी गुणवत्ता का अधिक से अधिक पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण पारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

(v) सालबीज का व्यापार

संग्रहण वर्ष 2014 के सालबीज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य भी वर्ष 2014 की भांति संघ द्वारा शासन के अभिकर्ता के रूप में किया जावेगा । वर्ष 2014 में 4 लाख क्विंटल सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है । जिससे संग्राहकों को रुपये 30 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरण होने का अनुमान है ।

(vi) हर्षा का व्यापार

वानिकी वर्ष 2013-14 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्षा इकाईयों में लगभग 49050 क्विंटल हर्षा का उत्पादन होना संभावित है, जिसमें से 9 इकाईयों की अनुमानित 12450 क्विंटल मात्रा का अग्रिम निर्वर्तन हो चुका है । शेष अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित एवं भंडारित हर्षा, कचरिया एवं बालहर्षा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी ।

संग्रहण वर्ष 2014-15 में संग्रहित होने वाले हर्षा के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(vii) कुल्लू गोंद का व्यापार

वानिकी वर्ष 2013-14 सीजन में कुल्लू गोंद वर्ग-1 की 5 इकाईयाँ जिसका संभावित उत्पादन लगभग 360 क्विंटल है, में से 4 इकाईयों का 330 क्विंटल कुल्लू गोंद का अग्रिम में निर्वर्तित किया गया है। अग्रिम में अनिर्वर्तित इकाईयों में गोंद वर्ग-1 के विक्रय की कार्यवाही की जावेगी। अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान संग्राहकों को किया जावेगा। अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में (30 जून तक) लगभग रु. 91.13 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है।

संग्रहण वर्ष 2014-15 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

(viii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार

वानिकी वर्ष 2013-14 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 955 क्विंटल है। विगत वर्ष गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की 2 इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया जा चुका था। शेष 19 अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित होने वाली अनुमानित 895 क्विंटल गोंद का विभागीय संग्रहण कार्य कराया जाकर भंडारित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी। अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में (30 जून तक) लगभग रु. 21.05 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है।

संग्रहण वर्ष 2014-15 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है।

(ix) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है तथा जिनके परिवार ने वर्ष 2012 या 2013 में न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता तोड़ा है, को समूह बीमा योजना का लाभ वर्ष 2014-15 से भी प्राप्त होगा। 2011-2012 से प्रारंभ अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना भी वर्ष 2014-15 में लागू रहेगी।

(x) तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के है तथा जिनके परिवार ने वर्ष 2012 या 2013 में न्यूनतम 500 गड्डी पत्ता तोड़ा है, के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की “जनश्री” बीमा योजना वर्ष 2014-15 में भी लागू रहेगी तथा इससे मिलने वाले सभी लाभ संग्राहक परिवार को उपलब्ध कराये जावेंगे। इस योजना से संलग्न मुखिया के 2 बच्चों की छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी वर्ष 2014-15 में प्राप्त होगा।

(xi) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

यह योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की गई है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2014-15 में भी लागू रहेगी।

- (क) व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति।
- (ख) मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार।

(xii) गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना -

यह योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के बच्चों हेतु गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना वर्ष 2014-15 में भी लागू रहेगी।

(xiii) तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

यह योजना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ की गई है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समस्त प्रतिभाशाली बच्चों को 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 15000/- रुपये तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रुपये 25000/- दिया जावेगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी लागू रहेगी।

(xiv) वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2012 से संबंधित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की शेष राशि का वितरण किया जावेगा तथा वर्ष 2013 में तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय को छोड़कर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जावेगा।

(xv) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य -

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है। वर्ष 1998 से 2007 तक की राशि रु. 93.98 करोड़ जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है जिनके विरुद्ध अभी तक रु. 77.32 करोड़ के कार्य ही कराये गये हैं एवं अवशेष राशि रु. 16.66 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इस वर्ष कराये जावेंगे।

(xvi) वन एवं वनोपज का विकास -

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जावेगे । इस हेतु जिला यूनियनों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति के आधार पर इस हेतु उपलब्ध अवशेष राशि रु. 16.54 करोड़ में से राशि उपलब्ध करायी जा कर कार्य कराये जावेगे ।

(xvii) जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण -

संघ मुख्यालय की लेखा पुस्तकों एवं जिला यूनियनों के लेखा पुस्तकों का मिलान करने हेतु संघ मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनके कार्यालयों का लेखा मिलान, आय, व्यय, भंडार एवं स्कंध सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं संधारित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

(xviii) पुरुष तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका का वितरण -

शासन की स्वीकृति उपरान्त वर्ष 2014-15 में वितरित की जाने वाली चरणपादुकाओं को क्रय कर वितरण की कार्यवाही की जावेगी ।

(xix) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली को वर्ष 2012-13 में रु. 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई थी । इस योजना हेतु रु. 2.54 करोड़ प्राप्त हुई है । उक्त राशि से गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपर्जन/प्रसंस्करण कार्य कराया गया है । वर्ष 2013-14 में रु. 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई है, जिसकी स्वीकृति अप्राप्त है ।

(xx) आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान

राज्य शासन की नवीन योजनान्तर्गत लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु राशि रु. 2.00 करोड़ प्राप्त हुआ है । इस राशि से वर्ष 2009-10 में माहुल पत्ता प्रसंस्करण एवं वर्ष 2012-13 में तिखुर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त इमली, आंवला एवं तिखुर आदि के प्रसंस्करण कार्य वर्ष 2013-14 में कराये जावेगे ।

(xxi) रु. 32 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग 1500/- करोड़ की लघु वनोपज का उत्पादन होता है, परन्तु राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या बहुत कम है । वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से रु. 32.00 करोड़ की एकमुश्त राशि लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त हुई है । इस राशि से पूर्व में सरगीपाल जगदलपुर में इमली तथा महुआ बीज की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित था जिसमें अब केवल इमली ब्लॉक (Tamarind Block), व इमली कर्नेल पाउडर (TKP-Starch), तैयार किया जावेगा ।

नयनपुर गिरिवरगंज जिला सरगुजा में माहुल पत्ता, तैलीय बीज एवं चरौटा की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित था, अब केवल कोसिया टोरा पाउडर (Cassia tora Powder) तथा गोंद (Cassia tora Gum) तैयार किया जावेगा। बिलासपुर में आंवला तथा बेल की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जावेगा जिसमें आंवला जूस (Aonla Juice), स्ववैश (Aonla Squash/ Paste) एवं बेल के उत्पाद तैयार किये जायेगे। कांकेर में लाख प्रसंस्करण का कार्य किया जाएगा। रायपुर एवं दुर्ग में हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु अब दुर्ग में स्थापित की जाने वाली प्रसंस्करण इकाई को रायपुर में ही समाहित कर स्थापित किया जावेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत सिटकॉन रायपुर से सभी Clusters का Detailed Project Report (DPR) तैयार कराया जा रहा है, जिसमें से जगदलपुर, रायपुर एवं सरगुजा का Detailed Project Report (DPR) तैयार किया गया है। सरगुजा इकाई को स्थापित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम द्वारा नयनपुर-गिरिवरगंज जिला सरगुजा में भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की गई है तथा बिलासपुर सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। रायपुर बरौदा में 1.5 हेक्टेयर वन विभाग के स्वामित्व की भूमि उपलब्ध है। जगदलपुर एवं कांकेर में प्रसंस्करण इकाई स्थापित किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा, वन भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार की जा रही है। वन भूमि आवंटन उपरांत प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जावेगी, जिससे राज्य में रोजगार एवं आय के साधनों में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के लघु वनोपज संग्रहक लाभान्वित होंगे।

(xxii) यूरोपियन कमीशन परियोजना :

यूरोपियन कमीशन द्वारा स्वीकृत अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना :

यूरोपियन कमीशन से स्वीकृत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वनाधारित जीविकोपार्जन की परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना वर्ष 2014-15 में किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1 संसाधन सर्वेक्षण :

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण का अंतिम प्रतिवेदन तथा पुस्तिका प्रकाशन का कार्य पूर्ण किया जावेगा।

2 हर्बल हेल्थ केयर :

इस घटक के अंतर्गत इथनोबॉटनिकल सर्वेक्षण में प्राप्त वनोषधी योगों के आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के दल द्वारा सत्यापन पश्चात अग्रिम अनुसंधान हेतु प्रस्तावित योगों का CCRAS, New Delhi से अनुसंधान कार्य कराया जावेगा। परियोजना अंतर्गत स्थापित 50 वनोषधालयों के सतत् संचालन हेतु परंपरागत चिकित्सकों को पुनः प्रशिक्षित किया जावेगा तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जावेगा।

3 लघु वनोपज संग्रहण :

वर्ष 2014 में बस्तर संभाग में इमली के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित कर जिला यूनियन, स्व-सहायता समूहों को सूचित किया जावेगा। संग्रहित किये जाने वाले इमली का प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा कराया जावेगा। अतिरिक्त इमली का भंडारण शीतगृहों में किया जाकर मांग के समय निविदा द्वारा विक्रय किया जावेगा।

4 लघु वनोपज आधारित माइक्रोइंटरप्राइजेस :

इस वर्ष परियोजना लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु शेष कार्य किए जावेंगे तथा स्वीकृत माइक्रोइंटरप्राइजेस की सुदृढीकरण हेतु कार्यवाही किए जावेंगे।

5 विपणन :

इस घटक के तहत प्रसंस्कृत लघु वन उत्पाद, हर्बल उत्पादों के पैकेजिंग में सुधार, ब्राण्ड प्रमोशन का कार्य किया जावेगा। साथ ही संजीवनी केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं विक्रय प्रगति बढ़ाने हेतु कार्यवाही किए जावेंगे।

6 अनुसंधान विस्तार, एम.आई.एस एवं प्रमाणीकरण :-

परियोजना अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार हेतु तकनीकी सहायता के लिए स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित कार्यवाही की जावेगी। एम.आई.एस. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संचालित कार्यों की समीक्षा की जावेगी। साथ ही लघु वन/कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण पर कार्य किया जावेगा।

7 क्षमता विकास :

इस घटक के तहत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, वन समिति, वन अमले का सशक्तिकरण तथा हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यवाही किए जावेंगे।

8 स्व-सहायता समूहों एवं माइक्रोइंटरप्राइजेस का मूल्यांकन :

यूरोपियन कमीशन के तहत कार्यरत स्व-सहायता समूहों एवं संचालित माइक्रोइंटरप्राइजेस का Performance Appraisal किया गया, जिसके सुझाव अनुसार परियोजना अन्तर्गत प्रगति लाये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(xxiii) लाख विकास योजना :

वर्ष 2014-15 में अधिक से अधिक हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुये लाख पालन क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु राज्य शासन द्वारा लाख विकास योजना मद से प्राप्त होने वाली राशि रु. 250.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

(xxiv) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना :

वर्ष 2014-15 में लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर विनाशविहीन विदोहन के सिद्धांत पर क्षेत्र में पायी जाने वाली मुख्य वनौषधि प्रजातियों की पहचान करते हुये उनका संग्रहण एवं प्रसंस्करण के साथ ही साथ क्षेत्र के जैविक विविधता को बनाये रखने के उद्देश्य से सुरक्षा एवं संवर्धन का प्रयास किया जावेगा । वर्ष 2014-15 में प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 1000 हेक्टेयर के मान से 20 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का कार्य किया जावेगा । साथ ही साथ विगत वर्षों के स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रख-रखाव का कार्य भी किया जावेगा । वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से राशि रू. 316.25 लाख (प्रस्तावित) एवं संघ मद से रू. 441.54 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

विषय क्रमांक - 4

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये बजट की स्वीकृति ।

वर्ष 2014-15 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय -

अ.क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2014	16.438	लाख मा.बो.	1750.00 प्रति मा.बोरा	28766.500
2.	सालबीज	2014	40000.00	टन	8000.00 प्रति टन	3200.000
3.	हर्रा	2013-14	735.75	टन (अग्रिम)	6550.00 प्रति टन	83.311
			490.50	टन (विभागीय)	7160.00 प्रति टन	
		2014-15	2207.25	टन (अग्रिम)	6550.00 प्रति टन	249.934
			1471.50	टन (विभागीय)	7160.00 प्रति टन	
4.	कुल्लू गोंद	2013-14	22.80	टन (श्रेणी-I)	271100.00 प्रति टन	61.811
		2014-15	18.90	टन (श्रेणी-I)	271100.00 प्रति टन	64.065
			6.30	टन (श्रेणी-II)	203600.00 प्रति टन	
5.	धावड़ा, खैर बबूल, गोंद	2013-14	15.28	टन (धावड़ा)	29800.00 प्रति टन	8.725
			22.92	टन (खैर/बबूल)	18200.00 प्रति टन	
		2014-15	22.92	टन (अग्रिम)	29800.00 प्रति टन	17.309
		34.38	टन (विभागीय)	30480.00 प्रति टन		
योग						32451.655

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	222.55
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
3.	लाख विकास योजना	275.00
4.	पी.पी.ए. सरकार मद	316.25
5.	पी.पी.ए. संघ मद	441.54
6.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	100.00
7.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1700.00
8.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	500.00
योग		3755.34

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ. क्र.	विवरण	वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान	दिनांक 31.10.2013 तक का वास्तविक व्यय	वर्ष 2013-14 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2014-15 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	350.00	179.09	350.00	400.00
2.	चिकित्सा व्यय	30.00	10.47	20.00	30.00
3.	यात्रा भत्ता	15.00	11.66	19.99	25.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	20.00	4.71	10.00	10.00
5.	ई.पी.एफ. अंशदान	50.00	25.42	50.00	50.00
6.	पेन्शन अंशदान	20.00	8.82	20.00	20.00
7.	ग्रेज्युटी(उपादान)	100.00	1.78	2.00	25.00
8.	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण	50.00	25.92	45.00	50.00
9.	कर्मचारी बोनस	1.00	0.00	1.00	1.00
10.	लेखन सामग्री छपाई	15.00	5.17	15.00	15.00
11.	पोस्टेज/टेलीफोन	10.00	2.68	8.00	10.00
12.	भवन किराया /बिजली	20.00	6.48	15.00	20.00
13.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	40.00	11.68	40.00	60.00
14.	संचालक मंडल तथा आमसभा	5.00	1.93	4.00	5.00
15.	वाहन व्यय	20.00	9.46	20.00	20.00
16.	प्रशिक्षण	10.00	0.00	10.00	10.00
17.	विविध आकस्मिक	15.00	5.45	13.00	15.00
18.	अंकेक्षण शुल्क	50.00	44.44	75.00	75.00
19.	न्यायालयीन व्यय	4.00	1.32	4.00	5.00
20.	घसारा	250.00	0.00	200.00	250.00
21.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	10.00	0.00	2.00	10.00
योग :-		1085.00	356.48	923.99	1106.00

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	500.00	367.57	500.00	700.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	50.00	0.00	10.00	50.00
3.	अंशपूजी क्रय	5.00	0.00	1.00	5.00
4.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	50.00	0.00	50.00	50.00
5.	कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर क्रय	10.00	0.65	10.00	10.00
योग :-		615.00	368.22	571.00	815.00

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2014-15 में वनोपज की बिक्री से रु. 48447.635 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रुपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	44205.420
2.	सालबीज	3600.000
3.	हर्रा	509.575
4.	कुल्लू गोंद	97.972
5.	धावड़ा, गोंद	34.668
	योग	48447.635

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रुपये लाख में)
(अ)	तेन्दूपत्ता	
1.	वर्ष 2013 सीजन में गोदामीकृत 1.812 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 1.798 लाख मानक बोरा के अनुमानित रु. 1800/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 25% राशि ।	809.100
2.	वर्ष 2014 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा के अनुमानित रु. 2600/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि ।	38464.920
3.	वर्ष 2015 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा के अनुमानित रु. 3000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	4931.400
	योग	44205.420
(ब)	सालबीज	
1.	वर्ष 2014 सीजन में अनुमानित संग्रहित मात्रा 40000 टन के रु. 9000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्त योग्य विक्रय मूल्य	3600.000
	योग :-	3600.000

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(स)	हरा	
1.	वर्ष 2011-12 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 648.958 टन के रु. 6000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	38.937
2.	वर्ष 2012-13 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 931.990 टन के रु. 8000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	74.559
3.	वर्ष 2013-14 संग्रहित होने वाली मात्रा 1226.25 टन जो संग्रहित होगी के लिये रु. 8000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	98.100
4.	वर्ष 2014-15 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 4905 टन की 75% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 9000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	297.979
	योग :-	509.575
(द)	कुल्लू गोंद	
1.	वर्ष 2013-14 सीजन की वर्ष 2014-15 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 14.4 टन के रु. 275359/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	39.652
2.	वर्ष 2014-15 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 36 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 300000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	58.320
	योग :-	97.972
(इ)	धावड़ा, गोंद	
1.	वर्ष 2002-03 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रु. 1000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.001
2.	वर्ष 2013-14 सीजन की वर्ष 2014-15 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 38.2 टन के रु. 30000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	11.460
3.	वर्ष 2014-15 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 95.5 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 45000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	23.207
	योग :-	34.668
	महायोग आय :-	48447.635

(ब) विविध आय -

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	5500.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	450.00
	योग :-	5950.00

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	222.55
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
3.	लाख विकास योजना	275.00
4.	पी.पी.ए. सरकार मद	316.25
5.	पी.पी.ए. संघ मद	441.54
6.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	100.00
7.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1700.00
8.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	500.00
	योग	3755.34

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	809.100
2.	सालबीज	0.00
3.	हर्रा	211.596
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	39.652
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	11.461
	योग :-	1071.809

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रुपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	33.109
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	6.480
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	2.,579
	योग	42.168

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रुपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	48447.635
2.	विविध आय	5950.000
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	3755.340
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	42.168
	महायोग	58195.143

अ.क्र.	व्यय	राशि (रुपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	32451.655
2.	कार्यालयीन व्यय	1106.000
3.	पूँजीगत व्यय	815.000
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	3755.340
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	1071.809
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय/विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	18595.339
	महायोग	57795.143

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	58195.143
कुल व्यय	57795.143
संघ का शुद्ध लाभ	400.000

विषय क्रमांक - 5

विषय :- वर्ष 2012-13 के अंतिम वित्तीय पत्रकों पर अनुमोदन ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित से 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है । राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है । उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में समस्त 32 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखे, जिला यूनियन रायपुर, एवं कांकेर के वर्ष 2009-10 के, जिला यूनियन खैरागढ़ के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 तथा जिला यूनियन मनेन्द्रगढ़ के वर्ष 2011-12 के लंबित प्राप्त लेखों का परीक्षण कर समायोजन उपरांत संघ के अंतिम पत्रक (व्यापार पत्रक/लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार किये गये है, जिसकी प्रति अनुमोदन हेतु **संलग्न** है ।

उक्त तैयार वित्तीय पत्रक की प्रति अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर को प्रेषित की जा चुकी है ।



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2012-13

TENDU PATT A

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		14,22,86,440.18	By Sales		5,48,62,45,253.13
<i>Tendu Patta</i>	14,22,86,440.18		<i>Tendu Patta</i>	5,48,62,45,253.13	
To Purchase		2,13,31,34,713.42			
<i>Tendu Patta (Collection)</i>	2,13,31,34,713.42				
To Direct Expenses		33,69,95,083.72	By Direct Incomes		6,97,01,203.74
<i>Rebate on T.P. Sale</i>	2,16,93,240.38		<i>Interest & Other Income</i>	5,82,02,151.85	
<i>Godown Insurance Premium</i>	5,27,903.00		<i>Mis. Income Through D.U.</i>	1,14,99,051.89	
<i>M.F.P. Insurance Premium</i>	3,21,244.00				
<i>MFP Pluckers Ins sch (Janshree) Fed</i>	1,26,07,585.00				
<i>T.P. Collector's Group Insurance</i>	1,71,07,954.00				
<i>Establishment Expenses of Societies</i>	12,60,10,418.41		By Closing Stock		82,67,01,453.56
<i>Establishment & Adminst. Exp of D.U.</i>	15,85,58,827.93		<i>Tendu Patta</i>	82,67,01,453.56	
<i>Stationary and Printing</i>	36,884.00				
<i>Society Manager's Group Insurance</i>	1,26,953.00				
<i>Saree Distribution Exp</i>	4,074.00				
To People's Protected Area (Fed. Head) Tendupatta	3,92,51,396.00	3,92,51,396.00			
To Surplus		3,73,09,80,277.11			
TOTAL		6,38,26,47,910.43	TOTAL		6,38,26,47,910.43

SALSEED

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		2,29,45,447.18	By Sales		36,33,24,886.38
<i>Sal Seed</i>	2,29,45,447.18		<i>Sal Seed</i>	36,33,24,886.38	
To Purchase		40,81,47,253.77	By Direct Incomes		25,01,420.98
<i>Salseed Collection (Purchase)</i>	40,81,47,253.77		<i>Interest & Other Income</i>	25,01,420.63	
To Direct Expenses		0.00	<i>Stationary & Printing</i>	0.35	
<i>Godown Rent</i>					
To People's Protected Area (Fed. Head) Salseed	70,81,643.00	70,81,643.00	By Closing Stock		10,55,70,270.46
To Surplus		3,32,22,233.87	<i>SalSeed</i>	10,55,70,270.46	
TOTAL		47,13,96,577.82	TOTAL		47,13,96,577.82

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		1,35,11,419.33	By Sales		3,55,98,635.85
<i>Harra</i>	1,35,11,419.33		<i>Harra Sale</i>	3,55,98,635.85	
To Purchase		4,35,04,182.51	By Direct Incomes		2,07,604.23
<i>Harra Collection(Purchase)</i>	4,35,04,182.51		<i>Interest & Other Income</i>	2,07,604.23	
To Direct Expenses		1,00,664.30	By Closing Stock		2,16,59,831.87
<i>Rebate on Harra Sale</i>	1,00,664.30		<i>Harra</i>	2,16,59,831.87	
To People's Protected Area	8,45,670.00	8,45,670.00			
(Fed. Head) Harra			By Loss		4,95,864.19
TOTAL		5,79,61,936.14	TOTAL		5,79,61,936.14

GUM

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		12,83,964.17	By Sales		18,91,323.32
<i>Gum</i>	12,83,964.17		<i>Gum Sale</i>	18,91,323.32	
To Purchase		13,94,203.00	By Direct Incomes		0.00
<i>Gum Collection (Purchase)</i>	13,94,203.00		<i>Interest & Other Income</i>		
To Direct Expenses		0.00	By Closing Stock		12,01,214.17
<i>Rebate on Gum Sale</i>			<i>Gum</i>	12,01,214.17	
To People's Protected Area	27,784.00	27,784.00			
(Fed. Head) Gum					
To Surplus		3,86,586.32			
TOTAL		30,92,537.49	TOTAL		30,92,537.49

DETAILS OF SURPLUS ON MINOR FOREST PRODUCE

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Tendu Patta	3,73,09,80,277.11	Harra	4,95,864.19
Harra	0.00	Gross Surplus	3,76,40,93,233.11
Salseed	3,32,22,233.87		
Gum	3,86,586.32		
TOTAL	3,76,45,89,097.30	TOTAL	3,76,45,89,097.30

Sd/-
Asst. Account Officer

Sd/-
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-
MANAGER (FINANCE)

Sd/-
ADD. MANAGING DIRECTOR

Sd/-
MANAGING DIRECTOR



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2012-13

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES	3,85,66,236.00	BY GROSS SURPLUS B/F	3,76,40,93,233.11
<i>Salary & Wages</i>	2,53,90,626.00	BY INDIRECT INCOMES	52,89,23,138.49
<i>E.P.F.Adminstrative Charges</i>	6,09,074.00	<i>House Rent Licence Fees</i>	72,231.00
<i>Medical Expenses</i>	21,85,857.00	<i>Interest Earned on FDR</i>	49,67,68,484.62
<i>Travelling Expenses</i>	13,13,311.00	<i>Interest Earned on Saving Account</i>	52,30,343.69
<i>House/office Rent to Owner</i>	10,83,403.00	<i>Miscellaneous Income</i>	2,889.18
<i>Orderly Allowance</i>	8,47,633.00	<i>Vehicle Charges Recovered</i>	24,750.00
<i>Vehicle Insurance Charges</i>	1,75,124.00	<i>Interest recd. From Employee</i>	14,700.00
<i>E.P.F. Contribution Expenses</i>	39,19,828.00	<i>Misc.Received Under Information Rights</i>	4,359.00
<i>Pension Contribution Expenses</i>	15,69,339.00	<i>Godown Rent Received</i>	20,34,502.00
<i>Vehicle Expenses\Rent\Registration</i>	1,53,739.80	<i>Interest earned on FFD A/c</i>	2,46,26,689.00
<i>Petrol, Oil & Lubricant.</i>	10,54,569.20	<i>Miscellaneous Income (Institutional Charges)</i>	1,00,000.00
<i>Bonus to Staff</i>	38,500.00	<i>Vehicle Insurance Claim</i>	6,690.00
<i>Children Education Allowance</i>	62,500.00	<i>Profit of Writtoff Vehicle</i>	37,500.00
<i>Group Gratuity Expenses</i>	1,51,621.00		
<i>Group Leave Encashment Premium & Others</i>	11,111.00	BY INTEREST EARNED ON FEDERATION SEED CAPITAL (APEX BANK)	4,56,82,805.00
TO INDIRECT EXPENSES	3,70,088.00		
<i>Convenyance Exp.</i>	29,446.00		
<i>Honorarium Exp</i>	68,635.00		
<i>Training Exp</i>	2,56,242.00		
<i>Fed. House\Building Maintenance A/c</i>	15,765.00		
TO MANAGERIAL EXPENSES	55,57,018.00		

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
<i>Stationary & Printing</i>	9,30,524.00		
<i>Books & Periodicals</i>	8,282.00		
<i>Postage & Telegram</i>	24,237.00		
<i>Electricity & Water Charges</i>	4,16,368.00		
<i>Advertisement Expenses</i>	24,77,380.00		
<i>Meeting Expenses</i>	1,10,554.00		
<i>Miscellaneous Expenses</i>	8,39,186.00		
<i>Vidhik Fees/litigation</i>	2,56,004.00		
<i>Telephone Expenses</i>	4,32,090.00		
<i>Bank Charges</i>	62,393.00		
<i>Computer Exp</i>			
TO DIST.UNION COMMISSION	35.00	35.00	
TO DEPERICIATION CHARGES	1,80,73,252.50	1,80,73,252.50	
TO CONTRIBUTION TO APEX CO-OP. UNION	500.00	500.00	
TO AUDIT FEES	56,17,151.04	56,17,151.04	
TO AUDIT FEES TO OTHERS	2,91,908.00	2,91,908.00	
TO PAYABLE TO SOCIETY		4,22,45,40,182.06	
<i>TO INCENTIVE WAGES</i>	3,37,96,32,146.00		
<i>TO SALE PURCHASE & PROCESSING OF NON-NATIONALIZED MFP</i>	63,36,81,027.00		
<i>TO REVOLVING FUND</i>	21,12,27,009.06		
TO COMMISSION TO FEDERATION	1.00	1.00	
TO SURPLUS TRANSFERRED TO FEDERATION	4,56,82,805.00	4,56,82,805.00	
TOTAL	4,33,86,99,176.60	TOTAL	4,33,86,99,176.60

Sd/-
Asst. Account Officer

Sd/-
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-
MANAGER (FINANCE)

Sd/-
ADD. MANAGING DIRECTOR

Sd/-
MANAGING DIRECTOR



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2012-13

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO NETT PROFIT C/O TO BALANCE SHEET	4,56,82,806.00	BY INTEREST EARNED ON FEDERATION CAPITAL	4,56,82,805.00
		BY COMMISSION ON MFP TRADE	1.00
TOTAL	4,56,82,806.00	TOTAL	4,56,82,806.00

Sd/-
Asstt. Account Officer

Sd/-
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-
MANAGER (FINANCE)

Sd/-
ADD. MANAGING DIRECTOR

Sd/-
MANAGING DIRECTOR



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2013

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1000000000.00	AUTHORISED SHARE CAPITAL		1000000000.00				
	PAID UP SHARE CAPITAL		18,96,87,392.14		FIXED ASSETS		35,39,09,751.78
4,37,22,122.14	<i>From Govt. Of C.G.</i>	4,37,22,122.14		30,88,75,293.78	<i>Godown & Building</i>	35,39,09,751.78	
32,000.00	<i>Distt. Union</i>	32,000.00					
10,18,64,348.40	<i>National Co-Op. Development Crop</i>	10,18,64,348.40		1,01,48,759.49	VEHICLE (ASSETS)	1,23,50,968.67	1,23,50,968.67
54,47,622.40	<i>Social Justice & Empowerment</i>	54,47,622.40		2,71,11,846.14	FURNITURE AND DEAD STOCK	3,11,72,544.14	3,11,72,544.14
64,38,099.20	<i>Tribal & Minority Welfare</i>	64,38,099.20					
3,21,83,200.00	<i>Share Capital for NCDC Godowns from C.G. Govt.</i>	3,21,83,200.00			SUNDRY DEBTORS		4,11,52,355.43
	DEPOSITS AND LOANS BEARING INTEREST		96,04,417.00	1,28,21,220.00	<i>C.G. State co-op Marketing Fed., Raipur</i>	0.00	
46,42,860.00	<i>Margin Money Loan From M.P. Govt.</i>	46,42,860.00		50,000.00	<i>Security Deposits (With Distt. Court), Raipur</i>	0.00	
49,36,657.00	<i>Godown Loan From Central Govt.</i>	49,36,657.00		27,42,386.22	<i>Charanpaduka Purchase A/c</i>	0.00	
24,900.00	<i>Godown Loan From N.C.D.C</i>	24,900.00		0.00	<i>Development of Forest & Forest Produce</i>	4,11,52,355.43	
	DEVELOPMENTAL PROJECTS		1,19,57,82,238.66		INVESTMENT		1,75,000.00
4,45,87,386.00	<i>41-2406 Aadvasi Up yojana-5091(PPA)</i>	5,62,76,620.00		1,75,000.00	<i>Purchase of Share</i>	1,75,000.00	
9,77,74,396.85	<i>41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing</i>	12,17,32,774.04			LOANS & ADVANCES		4,57,62,760.49
14,14,55,441.98	<i>European Commission Project [10-2406-6725]</i>	13,58,05,155.98		5,65,98,799.55	<i>Distt. Union Advance</i>	4,13,49,144.89	
29,77,92,055.46	<i>Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)</i>	27,86,63,144.03		5,43,319.00	<i>Advance To Staff</i>	7,71,286.00	
92,00,753.00	<i>Bastar Vikas Pradhikaran</i>	92,00,753.00		1,165.00	<i>Advance To Others</i>	1,165.00	
31,50,051.00	<i>Sarguja/Jaspur Vikas Pradhikaran</i>	31,50,051.00		1,25,000.00	<i>Director Forest School Jagdalpur</i>	1,25,000.00	
72,57,717.11	<i>UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project</i>	90,53,763.11		1,14,292.00	<i>D.F.O.MIS Division Raipur</i>	1,14,292.00	
6,43,16,591.00	<i>41-2406 Lac Development Project 6854</i>	5,21,18,387.00		26,36,021.60	<i>Nagrik Apurti Nigam</i>	26,36,021.60	
34,40,68,467.00	<i>Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)</i>	37,23,38,851.00		53,225.00	<i>Director Guru Ghansidas Nationak Park, Korea</i>	53,225.00	
5,96,469.00	<i>N.A.I.P Project (48)</i>	5,555.00		23,775.00	<i>Director Kangher Ghati N.P. Jagdalpur</i>	23,775.00	
9,41,89,111.00	<i>Lac Cultivation Project (SGSY)</i>	8,89,37,232.00		2,55,127.00	<i>CGCERT</i>	4,55,127.00	
23,43,333.00	<i>Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India</i>	22,21,625.00		11,00,000.00	<i>Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur</i>	0.00	
52,64,831.50	<i>NATIONAL MEDICINAL PLANT BOARD (NMPB)</i>	53,20,181.50		2,33,724.00	<i>G.S.L.I. Payment A/c</i>	2,33,724.00	
1,32,649.00	<i>Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran</i>	1,32,649.00			LIC (Group Gratuity)		2,98,66,219.00
12,009.00	<i>International Development Research Center</i>	759.00		2,01,13,039.00	<i>Group Gratuity Contribution Fund</i>	2,45,86,833.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
19,012.00	National Oil Seeds & Vegetable Oil Development Board	0.00		52,79,386.00	Interest Accrued From Group Gratuity Fund	52,79,386.00	
1,92,66,022.00	State Govt. Project for Processing Centre-5231	1,97,54,761.00			LIC (Group Leave Encashment Fund)		1,72,62,603.00
2,01,26,163.00	Campa Cold Storage Buildings A/c	2,10,69,977.00		83,29,547.00	Group Leave E. Contribution Fund	1,63,97,701.00	
0.00	Non National MFP Purchase at min.price (Sgovt.)	2,00,00,000.00		8,64,902.00	Interest Accrued From Group Leave Encashment Contribution Fund	8,64,902.00	
	FUNDS & RESERVES		59,71,47,146.89				
2,37,80,403.18	Reserve Funds	3,27,59,689.92		176.10	Bills Payable	176.10	176.10
20,18,15,172.53	Depreciation Funds	21,96,70,498.53			F.D.R./C.D.R./S.D.R.		7,72,89,63,533.00
21,37,85,810.42	General Reserves & Funds	23,26,64,774.42		1,05,00,00,000.00	F.D.R. (Union Bank of India)	73,50,00,000.00	
74,91,719.56	Inventory Loss Funds	1,01,72,103.66		47,25,19,447.00	FDR (Apex Bank) Fed Capital.	52,23,58,533.00	
1,91,46,364.22	Building & Vehicle Funds	0.00		14,20,000.00	Flexible FD (PNB 3358)	2,66,30,000.00	
68,43,849.08	Co-operative Training & Publicity funds	88,24,233.18		42,10,00,000.00	FDR A/c State Bank of India	56,00,000.00	
1,32,94,781.99	Share Capital Redemption Funds	1,86,55,550.19		3,95,00,000.00	Flexible FD (BOB)	1,14,25,000.00	
19,07,965.42	Co-op. Movement & Development Funds	27,12,080.65		11,15,50,000.00	Flexible FD (PNB 191933)	11,15,50,000.00	
11,72,565.49	Bad & Doubtful Debts Funds	17,08,642.30		0.00	FDR (BOI)	90,00,00,000.00	
4,50,70,384.00	Subsidy for Godowns From NCDC	4,50,70,384.00		0.00	FDR Allahabad Bank	65,30,00,000.00	
0.00	Building Fund	1,96,95,638.63		0.00	FDR Central Bank	2,55,00,00,000.00	
0.00	Vehicle Fund	52,13,551.41		28,46,00,000.00	FDR A/c (Bank of Baroda)	50,00,00,000.00	
	OTHERS PAYABLE & PROVISIONS		27,42,05,469.07	2,00,00,00,000.00	FDR A/c (IDBI)	0.00	
81,08,031.52	Cash Incentive to Govt. Employee (Old)	81,08,031.52		1,35,00,000.00	FDR A/c (Indusland Bank)	0.00	
75,34,525.79	Provision For Unadjusted Exp PPA	75,34,525.79		0.00	FDR A/c (OBC Bank)	1,71,20,00,000.00	
999.91	Provision for unadjusted T.P.Collection Exp.	999.91		2,00,00,00,010.00	FDR A/c (PNB)	14,00,000.00	
10,23,11,552.81	Provision for People's Protected area(Federation Head)	14,32,01,577.81		61,10,00,000.00	FDR A/c (Andra Bank)	0.00	
1,69,24,145.00	Provision for Audit Fees	1,86,51,675.04		11,34,00,000.00	FDR A/c (Axis Bank)	0.00	
3,500.00	Provision for Contribution to Apex Co-op. Union	4,000.00			BANK ACCOUNTS		1,15,89,32,176.78
4,95,45,237.00	Salseed Bonus Payable	4,66,59,079.00			CURRENT		
1,59,15,151.59	Provision for Estb. and Admin. exp of Societies	0.00		500.00	Apex Bank	500.00	
8,49,22,120.00	MFP Pluckers Group Ins.(Janshri Bima)Govt.(New A/c)	4,91,51,727.00		12,625.00	Bank of Baroda	9,389.00	
7,49,884.00	Group Gratuity Payable Ac	7,49,884.00		25,257.62	Central Bank of India	47,386.62	
1,43,969.00	Group Leave Encachment Payable A/c	1,43,969.00		24,79,485.75	S.B.Indore	24,79,485.75	
				7,256.61	Dena Bank	6,808.61	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	PAYABLE TO SOCITIES(C.G.)		7,46,41,93,804.43	0.00	<i>State Bank of India</i>	1,04,60,836.83	
3,22,97,53,794.32	<i>Incentive Wages to Pluckers C.G.</i>	4,89,97,27,055.55		8,10,63,444.05	<i>State Bank of India 823</i>	16,74,87,469.31	
14,30,52,446.83	<i>Infrastructure Development C.G.</i>	12,99,04,970.22		6,15,867.59	<i>State Bank of India 157</i>	21,351.59	
4,14,32,238.57	<i>Development of Forest & Forest Produce</i>	0.00					
77,49,65,495.18	<i>Revolving Fund</i>	98,61,92,504.24			SAVING		
93,02,38,119.41	<i>Sale purchase processing of Non-nationalise MFP</i>	1,44,83,69,274.42		2,13,74,344.17	<i>Punjab National Bank(Ac414) saving</i>	43,50,869.17	
				58,48,075.60	<i>Punjab National Bank(Ac191933)</i>	88,95,00,612.63	
2,76,943.00	REPAYABLE RECOVERIES	2,95,748.00	2,95,748.00	13,70,046.00	<i>Punjab National Bank(Ac199494)</i>	25,396.00	
				2,14,843.85	<i>Indus Ind Bank</i>	1,66,074.73	
	DUTIES & TAXES		5,81,20,440.57	2,64,667.73	<i>S.B.Indore (63011882888)</i>	0.00	
0.00	<i>VAT</i>	3,27,43,420.29		48,738.01	<i>Apex Bank 10275</i>	50,862.01	
1,81,69,535.33	<i>Forest Development Cess</i>	2,41,76,267.30		5,96,469.00	<i>Punjab National Bank(Ac1066000100092456)</i>	5,555.00	
34,70,116.45	<i>Income Tax</i>	12,00,752.98		6,17,247.11	<i>S.B.Indore (63024319363)</i>	4,94,543.11	
				11,94,330.68	<i>Axis Bank Ltd. 44794</i>	5,82,86,485.68	
	SUNDRY CREDITORS		12,06,98,139.99	7,69,188.00	<i>PNB 9230</i>	8,16,506.00	
9,068.00	<i>F.R.L.H.T.</i>	9,068.00		90,922.60	<i>Axis Bank Ltd 80589</i>	13,16,235.60	
7,35,06,681.93	<i>Tendu Patta Purchasers</i>	7,28,02,197.50		2,02,21,156.00	<i>State Bank of India 28102</i>	1,69,01,139.95	
1,83,53,426.01	<i>Sal Seed Purchasers</i>	1,83,68,167.22		48,571.00	<i>PNB 3358</i>	49,423.19	
10,12,248.26	<i>Harra Purchasers</i>	8,96,672.50		1,81,26,163.00	<i>PNB 3276 (Campa)</i>	56,88,443.00	
2,86,223.72	<i>Gum Purchasers</i>	3,65,413.72		27,554.00	<i>State Bank of India 6047</i>	0.00	
2,11,52,367.71	<i>Security Deposit other than M.F.P.</i>	2,65,85,534.00		7,37,027.00	<i>IDBI 1506</i>	7,66,803.00	
59,090.00	<i>TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.</i>	59,090.00					
3,21,829.00	<i>Tirumalla Tirupati Dev Sthanam , Tirupati</i>	2,40,562.00		17,90,82,750.00	INTEREST RECEIVABLE	16,72,71,341.39	16,72,71,341.39
0.00	<i>Charanpaduka Purchase A/c</i>	4,238.78					
0.00	<i>SBI 63011882888</i>	8,833.27		0.41	Loss Recoverable From State Govt.(Salseed)	0.41	0.41
0.00	<i>SBI 32084656047</i>	13,58,363.00					
				17,37,200.00	TAX DEDUCTED AT SOURCE RECEIVABLE	19,40,665.00	19,40,665.00
5,99,86,647.28	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 (Annexure -A)	5,99,86,647.28	73,45,05,969.87				
41,02,60,025.99	BIFURCATION DISPUTE WITH FED. BHOPAL A/c 2	41,02,60,025.99			GUNNY BAGS & TARPOLINE		1,41,04,395.78
26,42,59,296.60	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -3	26,42,59,296.60		1,41,04,395.78	<i>Gunny Bags & Tarpoline(Bhopal)</i>	1,41,04,395.78	
2,05,05,903.94	SUSPENSE A/C	2,15,91,278.94	2,15,91,278.94				
	PROFIT & LOSS A/C		13.00		DUTIES & TAXES		9,25,93,903.52

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
12.00	A. Profit of Fed. (in Previous year)	12.00		0.00	Central Sales Tax	7,41,975.21	
	B. Profit of Current Year	4,56,82,806.00		5,74,41,667.00	Tax Deducted at Source (Bank)	8,40,00,510.00	
	Total	4,56,82,818.00		2,80,923.81	Entery Tax (On sale)	2,10,959.35	
	Less: Reserve Fund Created	4,56,82,805.00		76,40,458.96	VAT Receivable (2008-09)	76,40,458.96	
					CLOSING STOCK		95,51,32,770.06
				12,83,964.17	Gum	12,01,214.17	
				1,35,11,419.33	Harra	2,16,59,831.87	
				14,22,86,440.18	Tendu Patta	82,67,01,453.56	
				2,29,45,447.18	Sal Seed	10,55,70,270.46	
					CASH-IN-HAND		1,52,40,894.01
				96,30,000.00	FDR In Hand	1,52,40,867.00	
				2.01	Cash	27.01	
8,18,23,83,910.08	GRAND TOTAL		10,66,58,32,058.56	8,18,23,83,910.08	GRAND TOTAL		10,66,58,32,058.56

- Note :-**
- 1- Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgement of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.
 - 2- Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal in which no transaction are made/no entries are passed from 01-11-2000 onwards are appearing in Balance sheet under group of Sundry Creditors as **Annexure "A"**
 - 3- The Provision of Development of Forest and Forest Produce related to the year 1998, 1999+2000 was not incorporated in the Balance Sheet.

Sd/-
ASST. ACCOUNT OFFICER

Sd/-
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-
MANAGER (FINANCE)

Sd/-
ADD. MANAGING DIRECTOR

Sd/-
MANAGING DIRECTOR



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH' 2013

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	Grant in Aid	22,63,000.00	85,29,42,793.11	Advance to Distt. Union(Bhopal)	85,29,42,793.11
14,00,000.00	M.F.P.Operation- Processing Units & Small Godowns	14,00,000.00			
22,27,000.00	NTPF Plantation (Medicinal Plants)	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	Godown Assistance	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	Subsidy for Godowns From TRIFED	30,57,321.00			
6,00,000.00	Subsidy for Small Godowns	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	Provision for T.P.Trade & Administrative Charges (New)	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	Provision for Harra Trade Expenses (New)	23,52,776.68			
39,63,288.56	Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)	39,63,288.56			
1,461.84	Provision for Other Gum Trade Expenses (New)	1,461.84			
2,024.00	Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)	2,024.00			
26,09,01,689.23	Provision for T.P.Trade & Admin.Charges (Old)	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	Provision for Mahua Trade Expenses	3,50,956.43			
36,84,541.50	Provision for Harra Trade Expenses (Old)	36,84,541.50			
1,99,19,699.20	Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	Incentive Wages to Pluckers(Bhopal)	5,09,30,873.30			
9,88,14,052.72	PROFIT TO SOCITIES(BHOPAL)	9,88,14,052.72			
33,03,50,213.89	ADVANCE FROM DISTT. UNION(BHOPAL)	33,03,50,213.89			
64,000.00	CASH IN TRANSIT	64,000.00			
91,29,29,440.39	GRAND TOTAL	91,29,29,440.39	85,29,42,793.11	GRAND TOTAL	85,29,42,793.11

5,99,86,647.28 Net transfered to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 5,99,86,647.28

Sd/-
Asst. Account Officer

Sd/-
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-
MANAGER (FINANCE)

Sd/-
ADD. MANAGING DIRECTOR

Sd/-
MANAGING DIRECTOR

विषय क्रमांक - 6

विषय :- वर्ष 2005-06 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।

वनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2005-06 की पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर से प्राप्त हो चुकी है । अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2005-06 में 1,55,12,740.93 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है । यह राशि राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में विनियोजित संघ के कुल FDR से प्राप्त ब्याज की राशि है ।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वर्ष 2005-06 में संघ की कार्यशील पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ 1,55,12,740.93 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है । अतः वर्ष 2005-06 में अर्जित वनोपज संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है -

क्रमांक	फंड का नाम	लाभ का प्रतिशत	राशि
1.	रक्षित निधि फंड	33.5%	5196768.21
2.	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	3102548.19
3.	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	1551274.09
4.	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	465382.23
5.	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	1551274.09
6.	भवन फंड	17%	2637165.96
7.	वाहन फंड	4.5%	698073.34
8.	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	310254.82
योग :-		100%	15512740.93

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी अनुमोदन संघ की वार्षिक साधारण आमसभा द्वारा किया जाता है, अतः संचालक मण्डल से प्रस्ताव पारित कराकर आमसभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

विषय क्रमांक - 7

विषय :- वर्ष 2006-07 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।

वनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2006-07 की पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर से प्राप्त हो चुकी है । अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2006-07 में 1,91,70,090.00 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है । यह राशि राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में विनियोजित संघ के कुल FDR से प्राप्त ब्याज की राशि है ।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वर्ष 2006-07 में संघ की कार्यशील पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ 1,91,70,090.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है । अतः वर्ष 2006-07 में अर्जित वनोपज संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है -

क्रमांक	फंड का नाम	लाभ का प्रतिशत	राशि
1.	रक्षित निधि फंड	33.5%	6421980.15
2.	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	3834018.00
3.	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	1917009.00
4.	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	575102.70
5.	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	1917009.00
6.	भवन फंड	17%	3258915.30
7.	वाहन फंड	4.5%	862654.05
8.	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	383401.80
योग :-		100%	19170090.00

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी अनुमोदन संघ की वार्षिक साधारण आमसभा द्वारा किया जाता है, अतः संचालक मण्डल से प्रस्ताव पारित कराकर आमसभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

विषय क्रमांक - 8

विषय :- वर्ष 2007-08 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।

वनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2007-08 की पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर से प्राप्त हो चुकी है । अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2007-08 में 2,38,05,302.00 का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है । यह राशि राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में विनियोजित संघ के कुल FDR से प्राप्त ब्याज की राशि है ।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वर्ष 2007-08 में संघ की कार्यशील पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ 2,38,05,302.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है । अतः वर्ष 2007-08 में अर्जित वनोपज संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है -

क्रमांक	फंड का नाम	लाभ का प्रतिशत	राशि
1.	रक्षित निधि फंड	33.5%	7974776.17
2.	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	4761060.40
3.	इन्वेट्री लॉस फंड	10%	2380530.20
4.	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	714159.06
5.	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	2380530.20
6.	भवन फंड	17%	4046901.34
7.	वाहन फंड	4.5%	1071238.59
8.	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	476106.04
योग :-		100%	23805302.00

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी अनुमोदन संघ की वार्षिक साधारण आमसभा द्वारा किया जाता है, अतः संचालक मण्डल से प्रस्ताव पारित कराकर आमसभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

विषय क्रमांक - 9

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति ।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के निम्न वर्षों के अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर अंकेक्षण टीप पारित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है ।

1	वर्ष 2005-06	क्रमांक 2303 दिनांक 30.03.2013
2	वर्ष 2006-07	क्रमांक 2936 दिनांक 29.14.2013
3	वर्ष 2007-08	क्रमांक 2939 दिनांक 29.04.2013

उक्त वर्षों की पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन, आय-व्यय पत्रक एवं बैलेंस सीट संबंधी प्रतिवेदन संलग्न प्रस्तुत है । वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन, आय व्यय पत्रक एवं बैलेंसशीट गत आमसभा (वर्ष मार्च 2013) में प्रस्तुत किया जा चुका था ।

अंकेक्षक द्वारा वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का समाधानकारक प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी समितियों को संघ के क्रमशः पत्र क्रमांक 10745 दिनांक 03.10.2009, क्रमांक 11491 दिनांक 29.09.2012 एवं पत्र क्रमांक 11493 दिनांक 29.09.2012 द्वारा भेजा जा चुका है । वर्ष 2003-04 से 2007-08 के अंकेक्षण में उठाई गई आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

अतः वनोपज संघ के वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 तक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा दिये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन पर वनोपज संघ द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव संचालक मण्डल में पारित होने के उपरांत आम सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1.	श्री ए.के.सिंह (भा.व.से.)	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.	श्री बी.एल.सरन (भा.व.से.)	अपर प्रबंध संचालक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
3.	श्री यूनस अली (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्री व्ही.एस.लकड़ा (भा.व.से.)	महाप्रबंधक-1	वन संरक्षक
5.	श्रीमती संजीता गुप्ता (भा.व.से.)	महाप्रबंधक-2	वन संरक्षक
6.	श्री राजेश नन्होरिया (भा.व.से.)	उप महाप्रबंधक (उत्पादन/भण्डारण)	उप वनसंरक्षक
7.	श्री यू.बी.एस.राठिया	सचिव/प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक
8.	श्री एस.के.दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)
9.	श्री सी.एल.ठाकुर	प्रबंधक (लेखा)	उप पंजीयक
10.	श्री व्ही.के.सेन्दूर	उप प्रबंधक, संविदा (उत्पादन/भंडारण)	सहायक वन संरक्षक
11.	श्री के.के.धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	स्टॉफ ऑफिसर